

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

दिसम्बर, 2010 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2010

तारांकित प्रश्नोत्तर

नगर पालिक निगम अम्बिकापुर को प्रदत्त राशि

1. (*क्र. 112) श्री अमरजीत भगत : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिक निगम अम्बिकापुर में वित्तीय वर्ष 2009-10 में वार्ड विकास हेतु कितनी राशि छ. ग. शासन द्वारा प्रदान की गयी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर को वित्तीय वर्ष 2009-10 में वार्ड विकास हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से कुल राशि रु. 462.59 लाख प्रदान की गई है।

राजनांदगांव जिला में संचालित अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्र

2. (*क्र. 357) श्री भोलाराम साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में अन्नपूर्णा दाल भात योजना का प्रारंभ किस वर्ष एवं कुल कितने दाल भात केन्द्रों के साथ कहां-कहां प्रारंभ किया गया ? विकासखंडवार, स्थानवार, संस्थावार जानकारी प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित दाल भात केन्द्रों में से कितने केन्द्र दिनांक 18-11-10 की स्थिति में संचालित किए जा रहे हैं ? कितने नवीन दाल भात केन्द्र किन-किन स्थानों पर प्रारंभ किए गए हैं ? विकासखंडवार, स्थानवार, संस्थावार जानकारी प्रदान करें ? (ग) प्रश्नांश "ख" में वर्णित इन दाल भात केन्द्रों में प्रतिदिन औसतन कितने लोग भोजन करते हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) राजनांदगांव जिले में अन्नपूर्णा दाल भात योजना का प्रारंभ 2004 में 09 दाल भात केन्द्रों के साथ किया गया। विकासखंडवार, स्थानवार, संस्थावार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर है। (ख) जिले में दिनांक 18-11-2010 की स्थिति में 06 दाल भात केन्द्र संचालित हो रहे हैं, तथा 03 स्थानों पर नवीन दाल भात केन्द्र आवंटित किए गए हैं। विकासखंडवार, स्थानवार, संस्थावार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर संलग्न है। नवीन खोले गए 03 दाल भात केन्द्रों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "स" पर है। (ग) जिले के दाल भात केन्द्रों में प्रतिदिन औसत 800 जरूरतमंद व्यक्ति भोजन करते हैं।

आरंग विधान सभा क्षेत्र में संचालित लघु उद्योग

3. (*क्र. 273) श्री रूद्र कुमार गुरू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामोद्योग से सहायता प्राप्त कितने लघु उद्योग संचालित हैं ? (ख) ग्रामोद्योग में अनुदान प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन वर्तमान में लंबित हैं एवं इनका निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) 367 लघु उद्योग संचालित हैं। (ख) 22 आवेदन लंबित हैं। समय बताना संभव नहीं है।

कुरूद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अन्त्योदय योजना के पंजीकृत हितग्राही

4. (*क्र. 368) श्री लेखराम साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुरूद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं अन्त्योदय योजना के कितने हितग्राही दिनांक 18-11-2010 तक की स्थिति में पंजीकृत हैं ? (ख) कितने कार्डों को अपात्र घोषित किया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) कुरुद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 18-11-2010 तक की स्थिति में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 23167 हितग्राही तथा अन्त्योदय योजना के 4005 हितग्राही कुल 27172 हितग्राही पंजीकृत हैं. (ख) कुरुद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत कुरुद के 151 राशनकार्ड अपात्र घोषित किया गया है. ग्रामीण क्षेत्र में नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रचलित है.

कमल विहार योजना के निर्माण कार्यों हेतु जारी टेण्डर

5. (*क्र. 378) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या "कमल विहार योजना" के लिए शासन ने आर.डी.ए. (रायपुर विकास प्राधिकरण) को बैंक गारंटी की सहमति दी है ? यदि हां तो, कब और कितनी राशि की ? (ख) कंडिका "क" की योजना में भूमि स्वामित्व आर.डी.ए. को कब और किस आधार पर मिला है ? प्रस्तावित भूमि पर किन-किन निर्माण कार्यों के लिए टेण्डर जारी किए गए हैं ? प्रस्तावित टेण्डर वाली भूमि पर आर.डी.ए. के भूमि स्वामित्व का भी ब्यौरा दें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार) योजना के लिये शासन ने रायपुर विकास प्राधिकरण को आज दिनांक तक बैंक गारंटी की सहमति नहीं दी है. (ख) नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार) योजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि का स्वामित्व छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 56 के तहत प्राप्त किया जाना है उक्तानुसार भूमि स्वामित्व प्राप्त किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार) में रिंग रोड, क्रमांक-4 में आने वाले भाग के अंतर्गत रोड, नाली, पुलिया का निर्माण हेतु टेण्डर जारी किया गया है. उपरोक्त टेण्डर वाली भूमि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 (8) के अंतर्गत सभी प्रकार के ऋण भार से मुक्त होकर रायपुर विकास प्राधिकरण में पूर्णतः निहित हो चुकी है यद्यपि प्राधिकरण में निहित होने वाली भूमि भूमिस्वामी के स्वामित्व के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करती.

प्रदेश में निर्माणाधीन/स्थापित पावर प्लांटों को पर्यावरण संबंधी अनुमति

6. (*क्र. 384) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन नियमानुसार हुआ है ? यदि नहीं तो, क्यों ? (ख) राज्य में कहां-कहां कौन-कौन से कितनी-कितनी क्षमता के पावर प्लांट स्थापित हैं जिनके पास पर्यावरण संबंधी सभी अनुमति है तथा किन-किन के पास नहीं है ? (ग) राज्य में कहां-कहां, कितनी-कितनी क्षमता के कौन-कौन से पावर प्लांट निर्माणाधीन है जिनके पास पर्यावरण संबंधी सभी अनुमति है तथा किन-किन के पास नहीं है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. (ख) जानकारी प्रपत्र "अ" पर † संलग्न है. (ग) जानकारी प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है.

उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु मापदण्ड

7. (*क्र. 25) **श्री सौरभ सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कितने राशन कार्ड और हितग्राहियों के अनुपात पर एक उचित मूल्य की दुकान खोलने का मापदण्ड है ? इस मापदण्ड के आधार पर अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां पर नवीन उचित मूल्य की दुकान खोलने का प्रस्ताव लंबित और विचाराधीन है ? (ख) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान से प्रति दुकान, कितने हितग्राहियों को राशन का वितरण किया जाता है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) नगरीय क्षेत्र में सामान्यतः प्रति 01 हजार राशनकार्ड, जिसमें कम से कम 400 बीपीएल/अंत्योदय कार्ड होने पर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत को इकाई मान कर 01 उचित मूल्य दुकान आवंटित करने का प्रावधान है. ग्रामीण क्षेत्रों में 3 किलोमीटर से अधिक दूरी होने की स्थिति में एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक दुकानें आवश्यकतानुसार खोले जाने का प्रावधान है. अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान खोले जाने का प्रस्ताव लंबित/विचाराधीन नहीं है. (ख) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 99 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से 73490 हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण किया जाता है. दुकानवार कार्डधारी हितग्राहियों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

रायपुर जिले के कमल विहार योजना अंतर्गत अनियमितता की प्राप्त शिकायतें

8. (*क्र. 9) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि कमल विहार योजना के संबंध में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? (ख) क्या यह सही है कि इस प्रोजेक्ट में 15 प्रतिशत भूखंड गरीबों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए था ? किन्तु इसका कोई उल्लेख न ही प्रोजेक्ट में है और न ही डीपीआर में है ? क्या यह भी सही है कि भूमि विकास नियम एवं अधिनियमों के तहत गरीबों के लिए 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित करने का प्रावधान है ? चाहे वह सरकारी योजना हो या प्राईवेट बिल्डर्स की आवासीय योजना हो ? (ग) क्या गरीबों के लिये आरक्षित 80 एकड़ भूमि प्रोजेक्ट की जमीन का 15 प्रतिशत है ? अगर 80 एकड़ जमीन प्रोजेक्ट का 15 प्रतिशत हिस्से से कम है तो शेष भूमि को कब और कैसे अधिग्रहित और आवंटित किया जायेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी नहीं. परन्तु योजना के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर कुछ प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है. योजना के संबंध में प्राधिकरण में ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया है. (ख) एवं (ग) छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 तथा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में गरीबों के लिये 15 प्रतिशत भूमि आरक्षण करने का प्रावधान नहीं है, परंतु छत्तीसगढ़ नगर पालिक (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्ध तथा शर्तें) नियम, 1998 तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाइजर रजिस्ट्रीकरण निर्बन्ध तथा शर्तें) नियम, 1999 में कालोनाइजरों द्वारा विकसित की गयी कालोनियों पर गरीबों के लिये भूमि आरक्षण/आश्रय शुल्क/निर्मित आवासीय भवन देने का प्रावधान है. इस परियोजना में तथापि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 49 एवं 50 में कमजोर आय वर्गों हेतु भूमि आरक्षण का प्रावधान नहीं है फिर भी योजना के अंतर्गत पुर्नगठित किये गये कुल विकसित भूखण्डों का 15 प्रतिशत क्षेत्र कमजोर आय वर्गों हेतु प्रावधानित किया गया है जिसे स्कीम के अभिन्यास में भी दर्शाया गया है. आरक्षित 80 एकड़ भूमि विकसित भूखण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला जांजगीर-चांपा के नगर पालिका तथा नगर पंचायत को नगर विकास हेतु स्वीकृत राशि

9. (*क्र. 330) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले की सभी नगर पालिका, नगर पंचायत को वर्ष 2008 से 18 नवम्बर 2010 तक नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगर विकास हेतु किन-किन मदों में, कितनी-कितनी राशि, कब-कब प्रदान की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : जांजगीर-चांपा जिले के सभी नगर पालिका, नगर पंचायत को वर्ष 2008 से 18 नवम्बर 2010 तक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगर विकास हेतु विभिन्न मदों व कार्यों हेतु जारी राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में हैं.

खाद्यान्नों के परिवहन हेतु ट्रकों में जी.पी.एस. सिस्टम लगवाने में हुआ व्यय

10. (*क्र. 235) **डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागरिक आपूर्ति निगम में खाद्यान्नों का परिवहन करने वाले ट्रकों में जी.पी.एस. सिस्टम लगाने में कितना व्यय हुआ ? (ख) जी.पी.एस. सिस्टम लगाने के बाद कितनी ट्रकों को गलत रूट पर जाते हुए पकड़ा गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों का परिवहन करने वाले ट्रकों में जी.पी.एस. सिस्टम लगाने में कुल 1,01,26,913 रुपए व्यय किया गया है. (ख) ट्रकों में जी.पी.एस. सिस्टम लगाने के बाद गलत रूट पर जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है.

जिला महासमुंद में ग्रामोद्योग स्थापित करने पर स्वीकृत अनुदान/ऋण

11. (*क्र. 390) **श्री अग्नि चंद्राकर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में माह अप्रैल, 2004 से 30 सितंबर, 2010 तक किन-किन ग्रामों में कौन-कौन से उद्योग ग्रामोद्योग के तौर पर स्थापित किये गये हैं ? ग्रामोद्योग लगाने वालों का नाम पता क्या है ? (ख) ग्रामोद्योग लगाने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि ऋण के तौर पर और कितनी राशि अनुदान के तौर पर स्वीकृत की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम नम्बर 6 एवं 7 के अनुसार है.

प्रदेश में खाद्य निरीक्षकों के रिक्त पद

12. (*क्र. 399) **श्री नंदकुमार साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में खाद्य निरीक्षक के कुल कितने पद रिक्त हैं ? (ख) क्या शासन स्तर पर रिक्त पद पर पदस्थ करने की कार्यवाही की जा रही है ? अगर हां तो, कब तक रिक्त पदों पर नियुक्ति की जावेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रदेश में खाद्य निरीक्षक के कुल 39 पद रिक्त हैं. (ख) जी हां. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से रिक्त पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही जारी है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला रायपुर में अवैध रूप से स्थापित मोबाईल टॉवरों पर कार्यवाही

13. (*क्र. 341) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा रायपुर जिले के अंतर्गत किस-किस कम्पनी के अवैध रूप से स्थापित मोबाईल टॉवरों को चिन्हांकित किया गया है ? (ख) माह-अक्टूबर, 2010 की स्थिति में किन-किन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) रायपुर जिले के अंतर्गत अवैध रूप से स्थापित विभिन्न कंपनियों के मोबाइल टॉवरों को चिन्हांकित किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) माह अक्टूबर 2010 की स्थिति में अवैध रूप से स्थापित मोबाइल टावरों पर निकाय स्तर पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

जगदलपुर गोदाम से बीजापुर चावल परिवहन में अनियमितता पर कार्यवाही

14. (*क्र. 365) **श्री फूलचन्द सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 27-10-2010 को नागरिक आपूर्ति निगम के जगदलपुर गोदाम से चार ट्रक चावल बीजापुर के लिए भेजा गया था ? (ख) यदि हां तो, क्या भेजे गए चावल में से एक ट्रक वजन 271-04 क्विं. चावल बीजापुर न पहुंचाकर रास्ते में ही बेच दिया गया है ? (ग) यदि हां तो, चावल भेजने में गड़बड़ी करने के लिए जिला प्रबंधक जगदलपुर एवं संबंधित परिवहनकर्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जी नहीं. दिनांक 27-10-2010 को नागरिक आपूर्ति निगम के जगदलपुर गोदाम से मात्र एक ट्रक चावल बीजापुर के लिए प्रेषित किया गया था. (ख) दिनांक 27-10-2010 को जगदलपुर से बीजापुर भेजी गई ट्रक में लोड चावल 271.40 क्विंटल को अघाड़ी राईस मिल सरगीपाल में 02 लाख रुपये में बेचना जांच में पाया गया. (ग) बीजापुर के जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम श्री जे. एल. राणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं जिला प्रबंधक जगदलपुर श्री के. एल. सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. चावल परिवहनकर्ता मेसर्स ज्योतिश्वर कुरूप के विरुद्ध पुलिस थाना बोधघाट जगदलपुर में एफ.आई.आर. क्रमांक 423/10 दिनांक 16-11-2010 दर्ज कराया जा कर परिवहन कार्य बंद कराया गया है. परिवहनकर्ता से चावल 271.04 क्विं. के विरुद्ध राशि रुपये 830700.00 जमा कराया गया तथा देय राशि का भुगतान अवरुद्ध कर दिया गया है. पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना के दौरान वाहन चालक, वाहन मालिक एवं राईस मिल के संचालक को गिरफ्तार किया गया है.

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी एवं उठाव

15. (*क्र. 87) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ विपणन वर्ष 2009 में समर्थन मूल्य पर जिलेवार कितने मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई ? (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित धान की मात्रा में से जिलेवार कितने मीट्रिक टन धान का उठाव संग्रहण केन्द्रों से किया गया है ? कितने मीट्रिक टन शॉर्टेज अनुमानित किया गया है ? (ग) उपरोक्त में से कितने मीट्रिक टन धान 18-11-10 की स्थिति में संग्रहण केन्द्रों में ही रखा हुआ है ? उसमें से कितना धान खराब हो चुका है ? जिलेवार बताएं.

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) दिनांक 18-11-2010 की स्थिति में खरीफ वर्ष 2009-10 का मात्र 60 मीट्रिक टन डैमेज धान कवर्धा जिले में शेष है.

उचित मूल्य की दुकानें माह में 30 दिन खोले जाने हेतु जारी निर्देश

16. (*क्र. 373) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12 अगस्त, 2010 को जारी निर्देश के पालन के परिप्रेक्ष्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति ने जिलाधीशों को परिपत्र क्रमांक 29955/खाद्य/2010/29, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 को जारी किया है, जिसके अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु माह में 30 दिन उचित मूल्य की दुकान नियमित रूप से खोले जाने का निर्देश दिया गया है ? (ख) यदि हां तो, क्या प्रदेश के सभी उचित मूल्य की दुकानें माह में 30 दिन नियमित रूप से खोली जा रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जी हां. (ख) जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी कार्य दिवसों में उचित मूल्य दुकान नियमित रूप से खोली जा रही है.

नगर निगम जगदलपुर में गोकुल नगर योजना हेतु स्वीकृत राशि

17. (*क्र. 229) **श्री संतोष बाफना** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर निगम जगदलपुर में गोकुल नगर योजना प्रारंभ की गई है ? (ख) यदि हां तो, दिनांक 10-11-2010 तक गोकुल नगर योजना के तहत नगर निगम जगदलपुर को कब-कब, कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों बाबत प्रदाय की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी नहीं. (ख) योजना स्वीकृत नहीं होने से राशि प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता.

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बी.पी.एल. राशनकार्डों के सत्यापन का मापदण्ड

18. (*क्र. 326) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरीबी रेखा के अंतर्गत बी.पी.एल. कार्डधारियों के सत्यापन हेतु शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में बी.पी.एल. कार्ड, अन्त्योदय कार्ड एवं अन्नपूर्णा कार्डधारियों के सत्यापन हेतु क्या-क्या मापदण्ड हैं ? (ख) ग्रामीण क्षेत्र में राशनकार्ड के सत्यापन हेतु किस तारीख से किस तारीख तक समय निर्धारण किया गया है ? कार्ड निरस्त करने के क्या-क्या प्रावधान हैं ? 16-11-2010 की स्थिति में शहरी क्षेत्र के कितने राशनकार्ड निरस्त किये गये तथा ग्रामीण क्षेत्र के कितने निरस्त किये गये ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्ड धारियों के सत्यापन हेतु शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के मानदण्ड † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ख) ग्रामीण क्षेत्र में राशनकार्ड सत्यापन आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जमा करने के लिए 25 अक्टूबर से 04 दिसंबर, 2010 तक समय निर्धारित किया गया है. दावा आपत्ति हेतु 16 दिसंबर तक समय निर्धारित किया गया है. नवीनीकरण हेतु निर्धारित मानदण्ड अनुसार पात्र नहीं पाये जाने पर दावा आपत्ति की सुनवाई उपरांत राशनकार्ड निरस्त किया जा सकेगा. 16-11-2010 की स्थिति में शहरी क्षेत्र के 1,49,912 राशनकार्ड निरस्त किये गये हैं. ग्रामीण क्षेत्र में राशनकार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रचलित है.

रायपुर नगर निगम सीमा अंतर्गत विभिन्न गैस एजेंसियों को गोदाम बनाने हेतु दी गई अनुमति

19. (*क्र. 263) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर नगर निगम सीमा के भीतर कहां-कहां, कितनी गैस कंपनियों के गोदाम हैं ? (ख) सरकार द्वारा लाखों लोगों की जान की परवाह किये बिना किन नियमों के आधार पर घनी आबादी के बीच गोदाम बनाने की अनुमति दी गई है ? दुर्घटना घटित होने पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या-क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) रायपुर नगर निगम सीमा के भीतर इंडियन ऑयल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के 09 गैस गोदाम कार्यरत हैं. विस्तृत जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) †† संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित एल.पी.जी. गोदाम का निर्माण भारत सरकार के मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ऑयल कंपनियों के द्वारा किया गया है. मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक के द्वारा प्रति वर्ष गोदामों की सुरक्षा व्यवस्था के निरीक्षण उपरांत ही आयल कंपनियों की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जाता है. दुर्घटना से बचाव एवं दुर्घटना घटित होने पर अग्निशमन हेतु सभी आवश्यक उपाय आयल कंपनियों द्वारा किया गया है.

धान खरीदी हेतु बारदाना एवं माइस्वर जांच मशीन का क्रय

20. (*क्र. 42) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कितने लाख मीट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य रखा गया है तथा कितने-कितने बारदाना किस-किस फर्म से, किस-किस दर पर क्रय किये गये हैं ? धान खरीदी केन्द्र गत वर्ष कितने थे एवं 2010-11 में कितने हैं ? (ख) धान खरीदी के समय धान में माइस्वर की मात्रा की जांच के लिए मशीनों का क्रय किस क्रय नियम के आधार पर, कितनी संख्या में, किस-किस दर पर खरीदी की गई है ? निविदा कब विज्ञापित हुई एवं कब खरीदी गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) वर्तमान खरीफ वर्ष 2010-11 में समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से 50 लाख टन धान खरीदी का अनुमान है. धान खरीदी के लिए बारदानों का क्रय डायरेक्टर जनरल, सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल, भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, कोलकाता से किया जा रहा है. इस वर्ष 2,44,900 गठान (प्रति गठान-500 नग) बारदानें क्रय किये जाने हेतु 20,000 रुपये प्रति गठान की दर से अग्रिम राशि डायरेक्टर जनरल, सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल, कोलकाता को भुगतान किया गया है. गत वर्ष 1578 धान खरीदी केन्द्र थे एवं वर्तमान खरीफ वर्ष 2010-11 में इनकी संख्या 1586 है. (ख) पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रायपुर द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्रों की सहकारी समितियों द्वारा प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र हेतु माइस्वर मीटर का क्रय तीन कोटेशन प्राप्त कर न्यूनतम दर पर क्रय किये जाने के निर्देश दिए गए हैं. इस क्रय हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गई है. प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा 1067 माइस्वर मीटर की खरीदी अक्टूबर एवं नवम्बर 2010 की अवधि में की गई है. माइस्वर मीटर की प्रति नग क्रय दर न्यूनतम 12900 रुपये से लेकर अधिकतम 21525 रुपये है.

रायगढ़ जिला में पावर प्लांट की स्थापना हेतु की गई जन सुनवाई

21. (*क्र. 137) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009 एवं 2010 में प्रश्नांकित अवधि तक रायगढ़ जिले में कुल कितने पावर प्लांट की स्थापना हेतु जन सुनवाई आयोजित की गई है ? स्थानवार, दिनांकवार संबंधित प्लांट की क्षमता व इकाई के नाम सहित जानकारी दें. (ख) जन सुनवाई के किन-किन प्रकरणों में जन समर्थन की स्वीकृति एवं अस्वीकृति प्राप्त हुई है ? (ग) उक्त अवधि में रायगढ़ जिले में पावर प्लांट की स्थापना हेतु कुल कितनी कृषि योग्य जमीन अधिग्रहित की गई है ? प्लांट इकाईवार जानकारी दें तथा यह भी बतायें कि इन जमीनों के स्वामियों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि प्रदान की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर प्रसारित अधिसूचनाओं के अनुसार जन सुनवाई में परियोजना के संबंध में प्रतिक्रियायें, विचार/चिंतार्य/टीका-टिप्पणी आदि लिए जाते हैं. (ग) प्रश्नाधीन अवधि में रायगढ़ जिले में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ के पक्ष में कुल 199.669 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहित की गई है. इन जमीनों के स्वामियों को ग्राम बिंजकोट हेतु रकबा 16.460 हे. के लिये प्रति एकड़ रुपये 6 लाख, रकबा 68.783 हे. के लिये प्रति एकड़ रुपये 8 लाख एवं रकबा 11.483 हे. के लिये प्रति एकड़ रुपये 10 लाख एवं ग्राम दरामुड़ा में रकबा 97.131 हे. के लिये रुपये 8 लाख प्रति एकड़ एवं रकबा 4.545 हे. के लिये 10 लाख प्रति एकड़ की दर से मुआवजा प्रदान किया गया है.

औद्योगिक क्षेत्र रायपुर में प्रदूषण की जांच

22. (*क्र. 381) **श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रिक्स** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर स्थित उरला, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में आम रास्तों में फेंके गए ठोस अपशिष्टों/वायु प्रदूषण की जांच कब-कब और किस अधिकारी ने वर्ष 2010-11 में की ? (ख) औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण की नियमित जांच करने के लिए क्या नियम हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” पर उपलब्ध है. (ख) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत प्रदूषण की जांच की जाती है.

राजनांदगांव जिला में गरीबी रेखा के राशन कार्डों का सत्यापन

23. (*क्र. 358) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में 16-11-10 की स्थिति में कुल कितने गरीबी रेखा कार्डधारी हितग्राही हैं ? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) दिनांक 16-11-10 की स्थिति में राशन कार्डों के सत्यापन उपरान्त कुल कितने राशन कार्डों को निरस्त किया गया है ? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) राजनांदगांव जिले में दिनांक 16-11-2010 की स्थिति में सभी योजनाओं के गरीबों को जारी राशनकार्डों की संख्या 1,83,081 है. विकासखंडवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जिले में दिनांक 16-11-2010 की स्थिति में राशनकार्डों के सत्यापन उपरान्त कुल 12,960 राशनकार्डों को निरस्त किया गया है. विकासखंडवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

आरंग विधान सभा क्षेत्र में गरीबी रेखा के राशन कार्ड हेतु पंजीकृत हितग्राही

24. (*क्र. 274) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के आरंग विकासखण्ड के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एवं अन्त्योदय योजना के तहत कितने हितग्राही पंजीकृत हैं ? (ख) आरंग विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 18-11-2010 की तिथि में कुल कितने गरीबी रेखा के राशन कार्ड हैं ? (ग) उक्त तिथि तक कितने राशन कार्डों को अपात्र घोषित किया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के अन्तर्गत माह नवंबर, 2010 की स्थिति में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 37,351 तथा अन्त्योदय योजना के तहत 5,966 राशन कार्डधारी हैं. (ख) आरंग विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 18-11-2010 की तिथि में गरीबों को जारी राशन कार्डों की संख्या 43,317 है. (ग) इस वर्ष राशन कार्डों के सत्यापन के दौरान आरंग नगर पंचायत के 492 राशन कार्डों को अपात्र घोषित किया गया है.

जिला धमतरी में स्वरोजगार हेतु प्राप्त आवेदन एवं स्वीकृत अनुदान

25. (*क्र. 369) **श्री लेखराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में ग्रामोद्योग से स्वरोजगार हेतु वर्ष 2009 से 18-11-2010 तक कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ? (ख) कितने हितग्राहियों को अनुदान/सहायता स्वीकृत किया गया है ? कितने आवेदन स्वीकृत हेतु किन कारणों से शेष है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रश्नार्थी अवधि में 441 आवेदन पत्र प्राप्त हुये. (ख) 181 हितग्राहियों को अनुदान/सहायता स्वीकृत किया गया. 205 आवेदन-पत्र बैंक से स्वीकृति हेतु लंबित हैं.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

रायपुर स्थित भनपुरी के कोल्ड स्टोरेज में विभाग द्वारा छापामार की कार्यवाही

1. (क्र. 10) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी (श्री नंदकुमार पटेल) : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि 22 अगस्त, 2009 को खाद्य विभाग की टीम ने भनपुरी के दो कोल्ड स्टोरेज में छापामार कार्यवाही कर 20 हजार क्विंटल चना एवं चना दाल राजसात की थी ? यदि हां तो, सामग्री की कीमत कितनी थी ? (ख) क्या उक्त दाल किसानों की थी ? यदि दाल किसानों की थी तो क्या किसानों को वापस कर दी गई है ? यदि हां तो, किसानों की सूची उपलब्ध करावें ? (ग) यदि दाल किसानों की नहीं थी तो उक्त दाल कहां रखी है ? क्या सरकार द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है ? यदि हां तो, क्या और नहीं तो, क्यों नहीं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जी हां. राम कोल्ड स्टोरेज एवं सोम कोल्ड स्टोरेज, रावांभाटा बिरगांव से 20347.89 क्विंटल चना जप्त किया गया था. जप्त चना की कीमत 4.48 करोड़ रुपये थी. (ख) जप्तशुदा चना में से 14345.90 क्विंटल चना 144 किसानों का होने के कारण उन्हें वापस किया गया. जप्तशुदा चना में से 765.20 क्विंटल चना 7 व्यापारियों द्वारा नियमानुसार भण्डारण कराए जाने के कारण उन्हें वापस किया गया. किसानों एवं व्यापारियों की सूची † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) शेष 5236.79 क्विंटल जप्तशुदा चना के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उपरोक्त चने के बाजार मूल्य में से राशि रूपए 5.10 लाख शासन पक्ष में राजसात किया गया तथा जप्त चना मुक्त किया गया है.

रायगढ़ नगर में गौरव पथ निर्माण की पुनरीक्षित स्वीकृति

2. (क्र. 43) डॉ. शक्राजीत नायक : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ शहर में स्वीकृत गौरव पथ रेल्वे ओवर ब्रिज से कबीर चौक होकर छातामुरा बाईपास चौक तक निर्माण हेतु कितनी लंबी कितनी चौड़ी सड़क कितनी लंबी नाली निर्माण सड़क एवं अन्य कौन-कौन से कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत हैं ? निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है ? क्या यह सही है कि पुनः कबीर चौक से छातामुरा बाईपास चौक से नगर निगम सीमा तक की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है ? अगर हां तो, कब एवं कितनी राशि ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : रायगढ़ शहर में स्वीकृत गौरव पथ रेल्वे ओवर ब्रिज से कबीर चौक होकर छातामुरा बाईपास चौक तक निर्माण में निम्नलिखित कार्यों की स्वीकृति प्राप्त है :—

क्र.	कार्य का नाम	राशि (लाख में)
(1)	(2)	(3)
1.	सी.सी. सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य (1950 मी. लम्बाई, 80 फीट चौड़ाई)	360.24
2.	आर.सी.सी. नाली एवं फुटपाथ निर्माण कार्य (1750 मी. लम्बाई, 1.5 मी. चौड़ाई)	116.28
3.	रोड डिवाइडर निर्माण कार्य (1950 मी. लम्बाई, 1.5 मी. चौड़ाई)	54.30
4.	स्ट्रीट लाईट कार्य (आक्टोगोनल पोल डेकोरेटीव ब्रेकेट सहित 1950 मी. लम्बाई)	22.44
योग		553.26

निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :—

क्र.	कार्य का नाम	अद्यतन स्थिति
(1)	(2)	(3)
1.	सी.सी.रोड	छातामुड़ा चौक से कबीर चौक की तरफ बायीं ओर 347.00 मीटर तथा दायीं ओर 243.00 मीटर लम्बाई में सी.सी. रोड निर्माण कार्य पूर्ण.

(1)	(2)	(3)
2.	आर.सी.सी. नाली	छातामुड़ा चौक से कबीर चौक की तरफ बायीं ओर 510.00 मीटर एवं दायीं ओर 292.00 मीटर लम्बाई में नाली निर्माण पूर्ण.
3.	रोड डिवाईडर	604.00 मीटर लम्बाई में पूर्ण किया गया.
4.	स्ट्रीट लाईट कार्य	कोई कार्य नहीं हुआ है.

जी नहीं, यह सही नहीं है कि पुनः कबीर चौक से छातामुड़ा बाईपास चौक से नगर निगम सीमा तक की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है.

प्रदेश में राशन कार्डों के सत्यापन पश्चात् बी.पी.एल./ए.पी.एल. राशन कार्डधारियों की संख्या

3. (क्र. 88) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जारी राशन कार्डों के सत्यापन के उपरांत वर्तमान में बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. राशन कार्ड धारियों की जिलेवार संख्या कितनी है ? (ख) उक्त सत्यापन प्रक्रिया में जिलेवार कुल कितने कार्ड निरस्त किये गये ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रदेश में जारी राशनकार्डों के सत्यापन के उपरांत जिलेवार बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. राशन कार्डधारियों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) शहरी क्षेत्र में राशनकार्ड सत्यापन उपरांत जिलेवार निरस्त किये गये राशनकार्डों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. ग्रामीण क्षेत्र में राशनकार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रचलित है.

नगर पालिका परिषद बिलासपुर को नगर विकास हेतु स्वीकृत राशि

4. (क्र. 331) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर निगम बिलासपुर को वर्ष 2008 से 18 नवम्बर 2010 तक नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगर विकास हेतु किन-किन मदों में, कितनी राशि, कब-कब प्रदान की गई ? (ख) कार्यवार स्वीकृत राशि की जानकारी दें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) नगर निगम बिलासपुर को वर्ष 2008 से 18 नवम्बर 2010 तक नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगर विकास हेतु विभिन्न मदों में प्रदान राशि का विवरण †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) कार्यवार स्वीकृत राशि की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

खम्हारपाली परिवहन जांच चौकी से प्राप्त राजस्व

5. (क्र. 366) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खम्हारपाली परिवहन जांच चौकी, जिला-महासमुन्द में अप्रैल-2010 से 15 नवम्बर, 2010 तक कितने-कितने राजस्व की प्राप्ति, विभिन्न मदों से वसूल की गई है ? माहवार बतावें ? (ख) खम्हारपाली के अतिरिक्त किन-किन स्थानों से अस्थाई परिवहन जांच की व्यवस्था रायपुर, रायगढ़ एवं महासमुन्द जिलों में की गई है ? जनवरी, 2010 से 15 नवम्बर, 2010 तक उक्त अस्थाई परिवहन जांच स्थलों से कितने-कितने राजस्व की प्राप्ति, विभिन्न मदों से वसूल की गई है ? माहवार बतावें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) खम्हारपाली परिवहन जांच चौकी, जिला महासमुन्द में अप्रैल 2010 से 15 नवम्बर, 2010 तक कुल रु. 9,09,03,502/- राजस्व की प्राप्ति विभिन्न मदों से प्राप्त की गई है, जिसका मदवार एवं माहवार विवरण प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. (ख) खम्हारपाली के अतिरिक्त किसी स्थान पर अस्थायी जांच चौकी स्थापित नहीं है, परन्तु कर अपवचन को रोकने की दृष्टि से रायपुर जिले में सरसीवा से सरायपाली (महासमुन्द जिले की ओर) एवं सरायपाली से सारंगढ़ तथा गरियाबंद से देवभोग मार्ग पर एवं रायगढ़ जिले में रायगढ़ से हमीरपुर मार्ग पर आकस्मिक जांच की व्यवस्था की गई है. जनवरी 2010 से 15 नवंबर 2010 तक अस्थायी जांच की व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न मदों से प्राप्त राजस्व की माहवार जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है.

नगर पंचायतों में राजस्व वसूली के अनुपात में राशि आवंटन हेतु जारी निर्देश

6. (क्र. 374) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विभाग ने प्रदेश की नगर पंचायतों के लिए विभिन्न विकास योजनाओं हेतु राशि राजस्व वसूली के अनुपात में आवंटित किये जाने का निर्देश जारी किया है ? (ख) यदि हां तो, वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के 15 नवम्बर, 2010 तक नगर पंचायतों ने कितनी-कितनी राजस्व की वसूली की है ? नगर पंचायतवार जानकारी प्रदान करें. (ग) प्रश्नांक "ख" के समयावधि में प्रदेश की नगर पंचायतों को कितनी राशि विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गयी है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां यह अंशतः सही है. केन्द्र शासन के दिशा-निर्देश के अंतर्गत अनिवार्य सुधारों में उल्लेखित बिंदु नगरीय निकायों के आर्थिक सुदृढीकरण एवं उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी जा रही नागरिक सुविधाओं के लागत मूल्य की वसूली को ध्यान में रखते हुए तथा नगरीय निकायों द्वारा किये गये राजस्व वृद्धि एवं वसूली के कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा पत्र क्र./ले.अनु./चार/2010/4668 रायपुर दि. 24-07-2010 जारी किया गया है. (पुस्तकालय परिशिष्ट "अ" एवं "ब") यह भी सही है कि विभाग में प्रचलित राज्य प्रवर्तित, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं नगरीय हित की विशिष्ट योजनाओं तथा विकास कार्यों के लिए नगर पंचायतों को पूर्व की भांति अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राशि प्रदान किया जा रहा है. (ख) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के 15 नवम्बर 2010 तक नगर पंचायतों द्वारा राजस्व वसूली विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" पर है. (ग) प्रश्नांक "ख" के समयावधि में प्रदेश की नगर पंचायतों को विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गयी राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" पर है.

धान खरीदी हेतु बारदानों का क्रय

7. (क्र. 382) **श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रिक्स** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए बारदानों का क्रय किस आधार पर, कहां से, कितनी संख्या में और कितने मूल्य पर प्रचलित वर्ष में किया गया/किया जा रहा है ? (ख) क्या प्रचलित वर्ष में रायगढ़ स्थित जूट मिल से बारदाना खरीदी की गई है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) वर्तमान खरीफ वर्ष 2010-11 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदानों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्रय प्रक्रिया के आधार पर डॉयरेक्टर जनरल, सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल, भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, कोलकाता से क्रय किया जा रहा है. इस वर्ष 2,44,900 गठान (प्रति गठान-500 नग) बारदानें क्रय किये जाने हेतु 20,000 रुपये प्रति गठान की दर से अग्रिम राशि डॉयरेक्टर जनरल, सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल, कोलकाता को भुगतान किया गया है. (ख) जी नहीं. डायरेक्टर जनरल, सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल, कोलकाता द्वारा रायगढ़ स्थित जूट मिल से बारदानों की आपूर्ति अब तक नहीं कराई गई है.

कमल विहार योजना का क्रियान्वयन

8. (क्र. 385) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर में कमल विहार योजना कितनी-कितनी भूमि पर कहां-कहां प्रस्तावित है ? योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ? (ख) उक्त योजना की स्वीकृति कहां-कहां से लिया जाना आवश्यक है ? कहां-कहां से कब-कब लिया गया है तथा कहां-कहां से लिया जाना शेष है ? (ग) उक्त योजना के अंतर्गत निजी भू-स्वामियों की कुल कितनी-कितनी भूमि आएगी तथा किस आधार पर प्राप्त की जायेगी ? बदले में भू-स्वामियों को क्या दिया जायेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) योजना ग्राम डूण्डा, बोरियाखुर्द, देवपुरी, डूमरतराई तथा टिकरापारा में कुल 647.84 हे. भूमि पर लागू की गई है. योजना का मुख्य उद्देश्य रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 के उपबंधों के अंतर्गत नगर विस्तार किया जाना है. (ख) केवल शासन से योजना की स्वीकृति आवश्यक है जो दिनांक 10-8-2009 को दी गई. (ग) निजी भूमिस्वामियों की कुल 482.29 हे. भूमि आ रही है, जिसे छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 56 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त किया जायेगा. भूमिस्वामियों को उनकी सहमति के आधार पर विकसित पुनर्गठित प्लॉट या मुआवजा दिया जायेगा.

नाप तौल विभाग को प्राप्त शिकायतों की कार्यवाही हेतु व्यवस्था

9. (क्र. 400) **श्री नंदकुमार साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में नाप तौल विभाग के कार्यालय

कौन-कौन से जिले में हैं, क्या विकासखंडवार नाप तौल निरीक्षक की व्यवस्था शासन स्तर पर की गई है ? अगर नहीं तो, क्यों ? (ख) जिले स्तर पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण की क्या व्यवस्था है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रदेश में नापतौल विभाग के कार्यालय रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम, राजनांदगांव, जगदलपुर, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा, अंबिकापुर, कोरिया, रायगढ़ एवं जशपुर जिले में है. विकासखंडवार नाप तौल निरीक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था नहीं है. निरीक्षकों की नियुक्ति कार्य की आवश्यकता को देखते हुए की गई है. (ख) जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण सहायक नियंत्रक, नाप तौल के द्वारा किये जाने की व्यवस्था है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोसा उद्यान में “ककून” का उत्पादन एवं बिक्री

1. (क्र. 34) **श्री सौरभ सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30-10-2010 तक किस-किस कोसा उद्यान से कितने “ककून” का प्रतिवर्ष उत्पादन हुआ है ? (ख) इस समयावधि में कितने “ककून” किस दर से कौन सी बुनकर समितियों और हितग्राहियों को कब-कब बिक्री किया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” एवं प्रपत्र “स” में है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के उचित मूल्य की दुकान से ए.पी.एल. कार्डधारियों को प्रदाय खाद्य सामग्री

2. (क्र. 35) **श्री सौरभ सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी उचित मूल्य की दुकानों से कितने ए.पी.एल. कार्डधारियों को कौन-कौन सी खाद्य सामग्री किस दर से वर्ष 2009 और वर्ष 2010 में दिनांक 30-10-2010 तक प्रदान की गयी है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : वर्ष 2009 में ए.पी.एल. (सफेद) राशन कार्डधारियों को चावल एवं गेहूं का वितरण नहीं किया गया है. वर्ष 2010 में 9928 ए.पी.एल. (सफेद) राशन कार्डधारियों हेतु 27 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से 1418.49 क्विंटल चावल (13 रुपए प्रति किलो) एवं 409.15 क्विंटल गेहूं (10 रुपए प्रति किलो) की दर से प्रदाय किया गया है.

जिला रायगढ़ उद्योगों का निरीक्षण तथा पर्यावरण मापदण्डों का पालन नहीं करने पर की गई कार्यवाही

3. (क्र. 53) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एक जनवरी, 2008 से 30 नवंबर 2010 तक रायगढ़ जिले में विभिन्न उद्योगों का निरीक्षण कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया ? निरीक्षण में जिन उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण के मापदण्डों का पालन होना नहीं पाया गया ऐसे उद्योगों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? (ख) स्पंज आयरन प्लांट, पावर प्लांट, स्टोन क्रेशर एवं राईस मिलों तथा अन्य उद्योगों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए क्या-क्या उपाय किये गये हैं ? उत्सर्जित वेस्ट मटेरियल, डस्ट, गंदा पानी को व्यवस्थित करने के लिये क्या-क्या उपाय किये गये हैं ? उद्योगवार वायु एवं जल प्रदूषण की मात्रा कितनी-कितनी है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“एक” एवं “दो” पर है. (ख) वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण तथा ठोस अपशिष्ट अपवहन हेतु निम्नानुसार व्यवस्थाएं की गई हैं :—

- (1) स्पंज आयरन प्लांट-वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु किल्व में ई.एस.पी./स्क्रबर एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन स्रोतों पर बेगफिल्टर/जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है. ये प्लांट वस्तुतः जल प्रदूषणकारी प्रकृति के नहीं होते हैं. उत्पन्न ठोस अपशिष्टों यथा चार-डोलोचार को आंशिक रूप से पावर प्लांट एवं ईट भट्टों में ईंधन के रूप में तथा शेष चार-डोलोचार, डस्ट आदि को भूमि-भराव में उपयोग किया जाता है.
- (2) पावर प्लांट—वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बॉयलर में ई.एस.पी. एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन स्रोतों पर बैगफिल्टर/जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है. उत्पन्न दूषित जल का प्राथमिक उपचार उपरांत ऐश स्लरी बनाने, ऐश क्वेचिंग/जल छिड़काव में तथा वृक्षारोपण में उपयोग किया जाता है. उत्पन्न ठोस अपशिष्ट राख को सीमेंट निर्माण, ईट/ब्लॉक निर्माण एवं भूमि-भराव आदि में उपयोग किया जाता है.
- (3) स्टोन क्रशर—वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वॉयब्रेटिंग/रोटरी स्क्रीन को ढँकने एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है. ये प्लांट वस्तुतः जल प्रदूषणकारी प्रकृति के नहीं होते हैं. उत्पन्न क्रशर डस्ट का उपयोग निर्माण कार्य/भूमि-भराव में किया जाता है.

- (4) राईस मिल—वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट कलेक्शन चेम्बर की व्यवस्था की गई है। उत्पन्न दूषित जल को सेटलिंग पिट में उपचार उपरांत वृक्षारोपण एवं राख बुझाने में उपयोग किया जाता है। उत्पन्न ठोस अपशिष्ट यथा राईस हस्क का उपयोग पॉवर प्लांट में ईंधन के रूप में तथा राख का उपयोग ईट निर्माण एवं भूमि-भराव आदि में किया जाता है।
- (5) इण्डक्शन फर्नेस/फैरो एलॉयस प्लांट—वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम/बेग फिल्टर की व्यवस्था की गई है। ये प्लांट वस्तुतः जल प्रदूषणकारी प्रकृति के नहीं होते हैं। उत्पन्न ठोस अपशिष्ट यथा स्लेग का उपयोग सड़क निर्माण एवं भूमि-भराव आदि में किया जाता है।

प्रश्नांश-“क” में उल्लेखित उद्योगों में से जिन उद्योगों में उत्सर्जन/उपचारित दूषित जल गुणवत्ता मापन कार्य किया गया है, उसके अनुसार वायु उत्सर्जन एवं जल प्रदूषण की मात्रा संबंधी जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“तीन” एवं “चार” अनुसार है।

मोवा धान खरीदी एवं कुनकुरी चावल घोटाले की जांच उपरांत दोषियों पर की गई कार्यवाही

4. (क्र. 98) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मोवा धान खरीदी एवं कुनकुरी चावल घोटाले की जांच उपरांत कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी एवं समितियां दोषी पायी गई ? (ख) इनमें किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) मोवा में वर्ष 2005 में धान खरीदी प्रकरण में प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के अधिकारी श्री टी. जे. पाण्डे, महाप्रबंधक, विपणन संघ तथा श्री एन. के. अग्रवाल तत्कालीन जिला विपणन अधिकारी, रायपुर दोषी पाये गये। मोवा में धान खरीदी करने वाली संस्था छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विकास एवं विपणन सहकारी संस्था मोवा धान खरीदी कार्य में अनियमितता की दोषी पाये गये। कुनकुरी प्रकरण की जांच में छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के तत्कालीन शाखा प्रबंधक श्री सुनील कुमार निगम तथा श्री विमल कुमार गर्ग दोषी पाये गये हैं। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर के श्री प्रवीण शर्मा, उप व्यवसाय प्रबंधक, श्री विजय शर्मा, जिला प्रबंधक, श्री जे. पी. पांडे, सहायक प्रबंधक, श्री डी. पी. सूर्यवंशी, कनिष्ठ सहायक, श्री यू.पी. शर्मा, प्रबंधक तथा शिव शंकर वैष्णव आकस्मिक चौकीदार दोषी पाये गये। (ख) मोवा प्रकरण में पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विकास एवं विपणन सहकारी संस्था, मोवा के आरोपी श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल एवं श्री मिर्जा मकसूद बेग, को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के अधिकारी श्री टी. जे. पांडे एवं श्री एन. के. अग्रवाल के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। श्री एन.के. अग्रवाल की विभागीय जांच पूर्ण हो चुकी है तथा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। श्री टी. जे. पांडे की विभागीय जांच जारी है। कुनकुरी प्रकरण में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में श्री सुनील कुमार निगम, कनिष्ठ सहायक, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, राज्य भण्डार गृह निगम, कुनकुरी श्री विमलकुमार गर्ग एवं अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 1/2005 कायम कर विवेचना की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम द्वारा श्री सुनील कुमार निगम, कनिष्ठ सहायक (निलंबित) तत्कालीन शाखा प्रबंधक, कुनकुरी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा श्री प्रवीण शर्मा, उप व्यवसाय प्रबंधक को सेवा से पृथक कर 1.50 करोड़ वसूली की शास्ति आरोपित की गई है। श्री विजय शर्मा तत्कालीन जिला प्रबंधक को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदावनत कर 84.38 लाख रुपये की वसूली शास्ति आरोपित की गई है। श्री जे.पी.पांडे, सहायक प्रबंधक को सेवा से पृथक कर 13.47 लाख रुपये की वसूली शास्ति आरोपित की गई है। श्री डी.पी.सूर्यवंशी, कनिष्ठ सहायक को सेवा से पृथक कर 86.38 लाख रुपये की वसूली शास्ति आरोपित की गई है। श्री शिवशंकर वैष्णव, आकस्मिक चौकीदार को सेवा से पृथक कर दिया गया है। श्री यू. पी. शर्मा, प्रबंधक के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है, जो प्रचलित है।

जगदलपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत संचालित राशन दुकानों में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

5. (क्र. 230) **श्री संतोष बाफना** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कुल कितनी राशन दुकानें किन-किन फर्म/संस्था/एजेंसियों द्वारा कब से संचालित हैं ? (ख) वर्ष 2010-11 में दिनांक 10-11-2010 तक कितनी राशन दुकानों के विरुद्ध अनियमितता/कालाबाजारी की शिकायतें प्राप्त हुईं एवं इन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है।

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में 108 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। संचालन एजेंसीवार, उचित मूल्य दुकान एवं आवंटित तिथि की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है। (ख) वर्ष 2010-11 में दिनांक 10-11-2010 तक 16 उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसकी जांच किये जाने पर 10 उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध प्रकरण निर्मित किया गया। दुकानवार की गई कार्यवाही † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है।

कमल बिहार योजना के तहत अधिग्रहित की गयी भूमि

6. (क्र. 245) **श्री कुलदीप सिंह जुनेजा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) “कमल बिहार योजना” के तहत कुल कितनी भूमि, किस दर पर अधिग्रहित की गई है ? भूमि अधिग्रहण के क्या मापदण्ड हैं ? (ख) भू-स्वामियों को अधिग्रहित की गई भूमि के एवज में कुल कितना भुगतान किया गया है ? इस योजना के तहत कितने प्रतिशत लोगों द्वारा भूमि देने हेतु सहमति प्रदान की गई है ? (ग) क्या “कमल बिहार योजना” के मास्टर प्लान व ले-आऊट को संबंधित विभाग/कार्यालय में नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां तो, कब ? यदि नहीं तो, क्यों ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) योजना के तहत अभी तक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. लगभग 75 प्रतिशत लोगों द्वारा सहमति दी जा चुकी है. (ग) योजना का ले-आऊट दिनांक 02-07-2010 को कतिपय शर्तों के साथ स्वीकृत किया गया है.

धान खरीदी में लेव्ही नीति के तहत कस्टम मिलिंग का चार्ज

7. (क्र. 284) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 में निर्धारित लेव्ही नीति के तहत कस्टम मिलिंग का चार्ज अरवा एवं उसना धान के लिए कितना-कितना निर्धारित किया गया है ? (ख) पिछले पांच वर्ष की अवधि में कस्टम मिलिंग के निर्धारित चार्ज में कितनी-कितनी वृद्धि की गई है ? वर्षवार वृद्धि की जानकारी दें. (ग) धान खरीदी प्रारंभ होने के पश्चात् कितने मिलर्स कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन करा चुके हैं ? जिलेवार पंजीयन करने वाले राईस मिलर्स की जानकारी उपलब्ध करावें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) वर्ष 2010-11 में कस्टम मिलिंग चार्ज अरवा के लिए 40 रुपये एवं उसना मिलिंग के लिए 25 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ग) वर्ष 2010-11 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग हेतु दिनांक 26-11-2010 तक कुल 873 राईस मिलरों द्वारा पंजीयन कराया गया है. जिलेवार पंजीकृत राईस मिलों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

जिला रायपुर के नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010-2011 में प्रदायित राशि

8. (क्र. 342) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायपुर के अंतर्गत बिलाईगढ़, भटगांव एवं टुंड्रा नगर पंचायतों के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 में शासन द्वारा किन-किन मद से, किन-किन कार्यों के लिए, कितनी-कितनी राशि, कब-कब जारी की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : जिला रायपुर अंतर्गत बिलाईगढ़, भटगांव एवं टुण्ड्रा नगर पंचायतों के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 में शासन द्वारा जारी राशि की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

राजनांदगांव जिले के संग्रहण केन्द्रों में धान का संग्रहण तथा कस्टम मिलिंग

9. (क्र. 359) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में शासन द्वारा वर्ष 2010-11 में किन-किन संग्रहण केन्द्रों में कितनी-कितनी मात्रा में धान का संग्रहण किया गया है ? संग्रहण केन्द्रवार जानकारी प्रदान करें. (ख) धान के कस्टम मिलिंग में देने के बाद इनमें कितनी कमी पाई गई और इसका क्या कारण है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) राजनांदगांव जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2010-11 में दिनांक 25-11-2010 तक जिले के सिंघोला संग्रहण केन्द्र में 3800.5 मेट्रिक टन धान का संग्रहण किया गया है. (ख) खरीफ विपणन वर्ष 2010-11 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की कस्टम मिलिंग की जा रही है. अतः कमी पाई गई मात्रा की जानकारी मिलिंग पूर्ण होने के उपरान्त दिया जा सकता है.

राजनांदगांव जिला अंतर्गत अवैध मिलावटी मिट्टीतेल भण्डारण के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

10. (क्र. 360) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले में दिनांक 01-01-2010 से दिनांक 18-11-2010 तक की स्थिति में अवैध/मिलावटी मिट्टीतेल भण्डारण के कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? विकासखंडवार, थानावार जानकारी प्रदान करें. दोषी व्यक्तियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : राजनांदगांव जिले में प्रश्नाधीन अवधि में मिलावटी मिट्टीतेल से संचालित वाहन एवं अवैध मिलावटी मिट्टीतेल भण्डारण के कुल 20 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. विकासखंडवार, थानावार, निर्मित प्रकरण एवं उसके निराकरण की विस्तृत जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है.

जिला रायगढ़ में धान की खरीदी, परिवहन एवं भण्डारण

11. (क्र. 363) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 में 18-11-2010 तक रायगढ़ जिले की विभिन्न सहकारी समितियों में कुल कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है ? (ख) खरीदे गये धान में कितने का भुगतान किसानों को किया जा चुका है ? कितनी राशि भुगतान हेतु शेष है ? खरीदी केन्द्रवार जानकारी दें. (ग) क्या खरीदे गये धान का परिवहन एवं भंडारण किया जा चुका है ? यदि हां तो, मात्रा बतावें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) वर्तमान खरीफ वर्ष 2010-11 में 18-11-2010 तक रायगढ़ जिले में विभिन्न सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर 4503 मेट्रिक टन धान क्रय किया गया. (ख) खरीदे गये धान की राशि रुपये 4,54,24,057 का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा चुका है. (ग) जी नहीं.

जिला रायगढ़ के उद्योगों में ई.एस.पी. की अनिवार्यता तथा निरीक्षण

12. (क्र. 364) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उद्योगों में ई.एस.पी. संयंत्र लगाया जाना अनिवार्य है ? (ख) यदि हां, तो रायगढ़ जिले में संचालित कितने उद्योग में ई.एस.पी. संयंत्र लगे हैं ? (ग) 2009 से 18-11-2010 तक कब-कब, किन-किन अधिकारी द्वारा इसका निरीक्षण किया गया ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) सभी उद्योगों में ई.एस.पी. लगाया जाना आवश्यक नहीं है. (ख) रायगढ़ जिले में संचालित 32 उद्योगों द्वारा ई.एस.पी. स्थापित किया गया है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

परिवहन जांच चौकियों से शमन शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व

13. (क्र. 367) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभिन्न परिवहन जांच चौकी (बेरियरों) में 2009-10 एवं 2010-11 में 15 नवम्बर, 2010 तक निर्धारित लोड क्षमता से अधिक लोड वाले कितने वाहनों का जुर्माना किया गया ? (ख) कितनी-कितनी राशि शमन शुल्क एवं अन्य मदों से वसूल की गई ? वर्षवार बेरियरवार जानकारी दें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) विभिन्न परिवहन जांच चौकी (बेरियरों) में निर्धारित लोड क्षमता से अधिक लोड करने वाले वाहनों का वर्ष 2009-10 में कुल 9,770 एवं 2010-11 में 15 नवम्बर 2010 तक कुल 8,913 वाहनों पर जुर्माना किया गया. (ख) शमन-शुल्क एवं अन्य मदों से वसूल की गई वर्षवार एवं बेरियरवार राशि का वर्ष 2009-10 का विवरण †† संलग्न प्रपत्र "अ" पर एवं वर्ष 2010-11 (15 नवम्बर 2010 तक) का विवरण †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर है.

जिला धमतरी में बुनकर सहकारी समितियों को स्वीकृत अनुदान

14. (क्र. 371) **श्री लेखराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में बुनकर सहकारी समितियों की संख्या कितनी है ? कितनी समिति क्रियाशील एवं कितनी अक्रियाशील है ? (ख) वर्ष 2008-09 से दिनांक 18-11-2010 तक की स्थिति में बुनकर सहकारी समितियों को कितना अनुदान दिया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) एक है, जो क्रियाशील है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में राशि रुपये 7,52,674/- अक्षरी रुपये सात लाख बावन हजार छः सौ चौहत्तर मात्र अनुदान दिया गया.

नगर पंचायतों को विभिन्न योजनान्तर्गत राशि आवंटन का मापदण्ड

15. (क्र. 375) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पंचायतों को विभिन्न योजनान्तर्गत राशि आवंटन करने के क्या मापदण्ड हैं ? (ख) वर्ष 2010-11 के 15 नवम्बर, 2010 तक महासमुंद जिलान्तर्गत बागबाहरा नगर पंचायत को कितनी राशि आवंटित की गयी ? योजनावार जानकारी प्रदान करें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) नगर पंचायतों को विभिन्न योजनान्तर्गत राशि आवंटन के मापदण्ड † संलग्न परिशिष्ट में हैं. (ख) वर्ष 2010-11 के 15 नवम्बर 2010 तक महासमुंद जिलांतर्गत बागबाहरा नगर पंचायत को भागीरथी नलजल योजनान्तर्गत राशि रु. 2,50,452.00 आवंटित किया गया है.

यातायात व्यवस्था सुधारने हेतु कंसलटेंट की नियुक्ति

16. (क्र. 379) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रायपुर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कंसलटेंट की नियुक्ति की गई है ? यदि हां तो कब, कंसलटेंट का नाम शर्तों का ब्यौरा दें ? (ख) नगर निगम रायपुर और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कब-कब चलाया ? (ग) यातायात को सुचारू करने के लिए रायपुर राजधानी की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए वर्ष 2010-11 में कितनी राशि शासन ने दी है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. नगर निगम, रायपुर द्वारा शहर की यातायात सुधार हेतु मेसर्स राइट्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम), गुड़गांव को कंसलटेंट नियुक्त किया गया है. इस हेतु उनसे दिनांक 22-08-2008 को अनुबंध संपादित हुआ है. अनुबंध एवं आर.एफ.पी. में दिये गए शर्तों का ब्यौरा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है. (ख) नगर निगम, रायपुर और यातायात पुलिस द्वारा यातायात को सुचारू करने के लिए संयुक्त अभियान चलाया गया है जिसकी तिथिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है. (ग) यातायात को सुचारू करने के लिए शासन द्वारा नगर निगम, रायपुर की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए वर्ष 2010-11 में कुल राशि रु. 1607.62 लाख प्रदान की गई है.

राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित रायपुर द्वारा आयकर का भुगतान के संबंध में

17. (क्र. 380) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रामोद्योग विभाग अन्तर्गत छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित रायपुर द्वारा आयकर भुगतान किया जाता है ? (ख) उक्त संस्थान ने वर्ष 2007-08 से वर्ष 2010-11 तक कितनी-कितनी राशि आयकर के रूप में वर्षवार जमा की बतावें ? क्या आयकर जमा करने के विरुद्ध आयकर में छूट का भी प्रावधान है ? यदि हां तो कितनी-कितनी राशि उपरोक्त वर्षों में छूट के तहत वापस मिली ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जी, हां. (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में है.

बी पी एल कार्ड निरस्तीकरण एवं खाद्यान्न उठाव के संबंध में

18. (क्र. 383) **श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रिक्स** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में अक्टूबर 2010 तक ए पी एल कार्डधारियों ने पी डी एस दुकानों से कौन-कौन सी खाद्य सामग्री कितनी मात्रा में उठायी है ? जिलेवार बतायें ? (ख) रायपुर, बिलासपुर शहर में पी डी एस के बी पी एल कार्डधारियों की जांच कब-कब कराई गई ? कितने कार्ड (बी पी एल) निरस्त किये गये और क्यों ? (ग) क्या कंडिका "क" के निरस्त कार्डधारियों के संबंध में कोई समीक्षा की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) ए.पी.एल. कार्डधारियों हेतु वर्ष 2009-10 में चावल 1375.94 टन एवं गेहूं 11834.20 टन

तथा वर्ष 2010-11 में चावल 21788.18 टन एवं गेहूं 11581.91 टन उठाव किया गया है. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) रायपुर एवं बिलासपुर शहर में राशनकार्डों का नवीनीकरण 16 जून 2010 से 20 अगस्त, 2010 तक की गई. रायपुर शहर में 32633 तथा बिलासपुर शहर में 6496 राशनकार्ड अपात्र पाए जाने के कारण निरस्त किया गया. (ग) ए.पी.एल. राशनकार्डधारियों का सत्यापन नहीं किया गया है.

जिला महासमुंद में विभाग द्वारा औद्योगिक इकाईयों को जारी एन.ओ.सी.

19. (क्र. 391) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम बिरकोनी जिला महासमुंद में स्थापित किन-किन औद्योगिक इकाईयों को पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं ? (ख) कौन-कौन औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाया गया है ? (ग) जिन औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रदूषण यंत्र नहीं लगाया गया है उन पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है. (ग) प्रश्नांश “क” एवं “ख” के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

प्रदेश में धान की खरीदी एवं भण्डारण

20. (क्र. 392) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में प्रदेश में धान खरीदी केन्द्रों द्वारा कितनी धान खरीदी की गई ? जिले अनुसार आंकड़ा क्या है ? (ख) धान खरीदी पश्चात् भण्डारण व अंतिम धान के विक्रय तक कितनी मात्रा में धान कम पाई गई है ? कम पाये गये धान का खरीदी मूल्य क्या है ? (ग) धान कम पाये जाने के दोषी कौन हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) धान के निराकरण के पश्चात् खरीफ वर्ष 2008-09 में 37,434 टन तथा खरीफ वर्ष 2009-10 में 89,221 टन धान की कमी पाई गई, जिसका खरीदी मूल्य क्रमशः 42.29 करोड़ रुपये तथा 95.46 करोड़ रुपये है. (ग) प्रश्नाधीन वर्षों में धान भंडारण की अवधि अधिक होने के कारण सूखत आदि से कमी आई है किन्तु धान कम पाये जाने के कारण खरीफ विपणन वर्षवार कार्यवाही निम्नानुसार की गई है :—

1. 2008-09 में 1 प्रतिशत से अधिक धान कमी वाले धान संग्रहण केन्द्र प्रभारियों के विरुद्ध निम्न कार्यवाही की गई है :—
 - (i) 04 प्रतिशत से अधिक कमी के प्रकरणों में 04 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए निलंबित किया गया है.
 - (ii) 03 प्रतिशत से 04 प्रतिशत तक की कमी के प्रकरणों में संबंधितों की संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
 - (iii) 02 प्रतिशत से 03 प्रतिशत तक की कमी के प्रकरणों में संबंधितों की संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
 - (iv) 01 प्रतिशत से 02 प्रतिशत तक की कमी के प्रकरणों में संबंधितों को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया है. उत्तर प्राप्त कर परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
2. खरीफ वर्ष 2009-10 में 1 प्रतिशत से अधिक कमी वाले धान संग्रहण केन्द्र प्रभारी एवं संबंधित जिला विपणन अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है. कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “एक”

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 357) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

राजनांदगांव जिले में दाल भात केन्द्रों की जानकारी

क्रमांक (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	संचालित संस्था का नाम (3)	संचालन स्थल (4)
1.	राजनांदगांव	महावीर इंटरनेशनल धर्मार्थ सेन्टर, राजनांदगांव	जेठीबाई धर्मशाला, पुराना अस्पताल के सामने, राजनांदगांव
2.	छुरिया	जागृति महिला स्व सहायता समूह, छुरिया	महिला प्रशिक्षण भवन (रिमा) में, छुरिया
3.	डोंगरगढ़	मां बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति, डोंगरगढ़	नीचे मंदिर, डोंगरगढ़
4.	मोहला	लघु व्यापारी संघ, मोहला	बस स्टैण्ड, मोहला
5.	डोंगरगांव	अरूणोदय शिक्षक संस्थान	जनपद पंचायत कार्यालय के सामने
6.	छुईखदान	राष्ट्रीय सेवा समूह	पुराने जनपद पंचायत के पास, छुईखदान
7.	मानपुर	शारदा महिला समूह एवं किशोरी महिला समूह, मानपुर	पुराना पंचायत भवन, बस स्टैण्ड, मानपुर
8.	खैरागढ़	ढेलाबाई चैरीटेबल ट्रस्ट, खैरागढ़	जनपद पंचायत कार्यालय के सामने
9.	चौकी	वनांचल शिक्षण समिति, चौकी	बस स्टैण्ड के पास, चौकी

प्रपत्र "ब"

राजनांदगांव जिले में वर्तमान में संचालित दाल भात केन्द्रों की जानकारी

क्रमांक (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	संचालित संस्था का नाम (3)	संचालन स्थल (4)
1.	राजनांदगांव	महावीर इंटरनेशनल धर्मार्थ सेन्टर, राजनांदगांव	जेठीबाई धर्मशाला, पुराना अस्पताल के सामने, राजनांदगांव
2.	डोंगरगढ़	छत्तीसगढ़ सेवा कल्याण परिषद्	नीचे मंदिर, डोंगरगढ़
3.	डोंगरगढ़	मानव कल्याण समिति	बस स्टैण्ड के पास
4.	छुईखदान	राष्ट्रीय सेवा समूह	पुराने जनपद पंचायत के पास, छुईखदान
5.	खैरागढ़	जय शक्ति स्व सहायता समूह, दाऊ चौरा	जनपद पंचायत के पास खैरागढ़
6.	चौकी	वनांचल शिक्षण समिति, चौकी	बस स्टैण्ड के पास, चौकी

प्रपत्र "स"

राजनांदगांव जिले में नवीन आवंटित दाल भात केन्द्रों की जानकारी

क्रमांक (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	संचालित संस्था का नाम (3)	संचालन स्थल (4)
1.	डोंगरगढ़	छत्तीसगढ़ सेवा कल्याण परिषद्	नीचे मंदिर, डोंगरगढ़
2.	डोंगरगढ़	मानव कल्याण समिति	बस स्टैण्ड के पास
3.	खैरागढ़	जयशक्ति स्व सहायता समूह, दाऊ चौरा	जनपद पंचायत के पास खैरागढ़

परिशिष्ट “दो”

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 384) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित पाँवर प्लांट के संबंध में जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	क्षमता	पर्यावरण संबंधी अनुमतियाँ-प्राप्त/अप्राप्त
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली, कोरबा.	2600 मेगावाट	प्राप्त
2.	कोरबा थर्मल पाँवर स्टेशन (पूर्व), मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, कोरबा.	440 मेगावाट	प्राप्त
3.	हसदेव थर्मल पावर स्टेशन (पश्चिम), मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, कोरबा.	840 मेगावाट	प्राप्त
4.	मेसर्स बालको केप्टिव पाँवर प्लांट, जमनीपाली, कोरबा	270 मेगावाट	प्राप्त
5.	मेसर्स भारत एल्युमीनियम कं. लिमिटेड, बालको नगर, कोरबा.	540 मेगावाट	प्राप्त
6.	मेसर्स डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, कोरबा.	500 मेगावाट	प्राप्त
7.	मेसर्स लैंको अमरकंटक पाँवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-पताढी, कोरबा.	600 मेगावाट	प्राप्त
8.	मेसर्स ए.सी.बी. (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व नाम मेसर्स आर्यन कोल बेनीफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड), ग्राम-चाकाबुड़ा, तहसील-कटघोरा, कोरबा.	30 मेगावाट	प्राप्त
9.	मेसर्स हसदेव बांगो हाईडेल पाँवर स्टेशन, मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, ग्राम-माचाडोली, तहसील-पोड़ी उपरोड़ा, कोरबा.	120 मेगावाट	प्राप्त
10.	मेसर्स सीपत सुपर थर्मल पाँवर प्रोजेक्ट, एन.टी.पी.सी. सीपत, बिलासपुर.	1000 मेगावाट	प्राप्त
11.	मेसर्स रीयल पाँवर प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व नाम मेसर्स एन.आर.आई. पाँवर एंड स्टील प्रा. लिमिटेड), ग्राम-रामबोड, ब्लॉक पथरिया, बिलासपुर.	7.5 मेगावाट	प्राप्त
12.	मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड, प्लांट नं.-55 से 66, सेक्टर-बी, औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी, बिलासपुर, बिलासपुर.	08 मेगावाट	प्राप्त

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	मेसर्स सुधा एग्रो ऑयल एंड केमीकल इण्ड. लिमिटेड, ग्राम-मोहतराई, रतनपुर रोड, बिलासपुर.	9.99 मेगावाट	प्राप्त
14.	मेसर्स एजियो पेपर्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-ढेंका, पोस्ट-दर्राघाट, तहसील-मस्तूरी, बिलासपुर.	04 मेगावाट	प्राप्त
15.	मेसर्स अरसमेटा केप्टिव पावर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, गोपाल नगर, जांजगीर-चांपा.	43 मेगावाट	प्राप्त
16.	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्राम-अमझर तह.-चाम्पा, जांजगीर-चांपा.	30 मेगावाट	प्राप्त
17.	मेसर्स लहरी पावर एंड स्टील लिमिटेड, ग्राम-मड़वा, जांजगीर-चांपा.	9.8 मेगावाट	प्राप्त
18.	मेसर्स के.व्ही.के. बायो एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-अमरताल, अकलतरा, जांजगीर-चांपा.	15 मेगावाट	प्राप्त
19.	मेसर्स सैषाशैला पावर एंड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सोठी, तह.-चांपा, जांजगीर-चांपा.	7.5 मेगावाट	प्राप्त
20.	मेसर्स मध्यभारत पेपर्स लिमिटेड, ग्राम-बिरगहनी, चांपा, जांजगीर-चांपा.	3.1 मेगावाट	प्राप्त
21.	मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, रायगढ़	1000 मेगावाट	प्राप्त
22.	मेसर्स आर. आर. इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, गढ़उमरिया, रायगढ़.	14 मेगावाट	प्राप्त
23.	मेसर्स इण्ड पावर लिमिटेड, महापल्ली, रायगढ़	10 मेगावाट	प्राप्त
24.	मेसर्स रूकमणी स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, कुनकुनी, रायगढ़.	10 मेगावाट	प्राप्त
25.	मेसर्स महावीर इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, ग्राम-भेंगारी, रायगढ़.	12 मेगावाट	प्राप्त
26.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (फेस-1), ग्राम-डोंगामहुआ, रायगढ़.	300 मेगावाट	प्राप्त
27.	मेसर्स एन.एस.पी.सी.एल., पुरैना, भिलाई, दुर्ग	500 मेगावाट	प्राप्त
28.	मेसर्स एन.एस.पी.सी.एल., भिलाई, दुर्ग	74 मेगावाट	प्राप्त
29.	मेसर्स इकोफ्रेन पावर एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड, ग्राम-चंद्रखुरी, दुर्ग.	7.5 मेगावाट	प्राप्त

(1)	(2)	(3)	(4)
30.	मेसर्स साईं केमिकल प्राईवेट लिमिटेड ग्राम-टेड़ेसरा, राजनांदगांव.	08 मेगावाट	प्राप्त
31.	मेसर्स रायपति पॉवर जनरेशन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-ठाकुरटोला, राजनांदगांव.	7.5 मेगावाट	प्राप्त
32.	मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, कबीरधाम (मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित परिसर में)	06 मेगावाट	प्राप्त
33.	मेसर्स इण्डसिल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर.	11 मेगावाट	प्राप्त
34.	मेसर्स आलोक फेरोएलॉयज लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर.	08 मेगावाट	प्राप्त
35.	मेसर्स हीरा फेरोएलॉयज लिमिटेड, यूनिट-2, औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर.	20 मेगावाट	प्राप्त
36.	मेसर्स हीरा पॉवर एंड स्टील लिमिटेड (पूर्व नाम-मेसर्स जैन कॉर्बाइड एंड केमिकल्स लि.), यूनिट-2, औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर.	20 मेगावाट	प्राप्त
37.	मेसर्स जगदम्बा पॉवर एंड एलॉयज लिमिटेड, मुरैठी, सिलतरा फेज-2, रायपुर.	25 मेगावाट	प्राप्त
38.	मेसर्स माँ ऊषा ऊर्जा लिमिटेड, ग्राम-गिरौद, रायपुर	7.5 मेगावाट	प्राप्त
39.	मेसर्स बजरंग मेटेलिक्स लिमिटेड, उरला, रायपुर.	16 मेगावाट	प्राप्त
40.	मेसर्स नीरज पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, हरिनभट्टा, सिमगा, रायपुर.	7.5 मेगावाट	प्राप्त
41.	मेसर्स ईशा पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, बंजारी, धमतरी	7.5 मेगावाट	प्राप्त
42.	मेसर्स शिवालिक पॉवर एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, बेलसोण्डा, महासमुन्द.	8.5 मेगावाट	प्राप्त
43.	मेसर्स कालिन्दी पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, तुमगांव, महासमुन्द.	08 मेगावाट	प्राप्त
44.	मेसर्स साउथ एशियन एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, खजुरी, बलौदाबाजार, रायपुर.	10 मेगावाट	प्राप्त
45.	मेसर्स अग्रवाल विद्युत, बिलाड़ी, नेवरा, रायपुर	8.5 मेगावाट	प्राप्त

(1)	(2)	(3)	(4)
46.	मेसर्स इण्डो लहरी बाँयो पॉवर लिमिटेड, पोस्ट-जरौदा, रायपुर.	5.5 मेगावाट	प्राप्त
47.	मेसर्स जिंदल इलेक्ट्रीसिटी जनरेशन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम बिहाझर, मौलीमुड़ा, महासमुंद.	08 मेगावाट	प्राप्त
48.	मेसर्स इंदिरा पॉवर जेन प्राईवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर गिरवरगंज, तहसील-सूरजपुर, सरगुजा.	10 मेगावाट	प्राप्त

प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित हो रहे (निर्माणाधीन) पाँवर प्लांट के संबंध में जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	क्षमता	पर्यावरण संबंधी अनुमतियाँ-प्राप्त/अप्राप्त
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पाँवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-रतीजा, कोरबा.	50 मेगावाट	प्राप्त
2.	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, बालको नगर, कोरबा.	1200 मेगावाट	प्राप्त
3.	मेसर्स एस.व्ही. पाँवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-रैकी, तहसील-पाली, कोरबा.	120 मेगावाट	प्राप्त
4.	मेसर्स ए.सी.बी. (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व नाम मेसर्स आर्यन कोल बेनीफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड), ग्राम-कसाईपाली, तहसील-कटघोरा, कोरबा.	270 मेगावाट	प्राप्त
5.	मेसर्स ए.सी.बी. (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व नाम मेसर्स आर्यन कोल बेनीफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड), ग्राम-चाकाबुड़ा, तहसील-कटघोरा, कोरबा.	30 मेगावाट	प्राप्त
6.	मेसर्स स्वास्तिक स्पंज एंड पाँवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-कनबेरी, तहसील-कटघोरा, कोरबा.	50 मेगावाट	प्राप्त
7.	मेसर्स मारुति क्लीन कोल एंड पाँवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बांधाखार, तहसील-पाली, कोरबा.	300 मेगावाट	प्राप्त
8.	मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड, ग्राम-छुरी, तहसील-कटघोरा, कोरबा.	540 मेगावाट	प्राप्त
9.	मेसर्स वंदना एनर्जी एंड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-छुरीखुर्द, तहसील-कटघोरा, कोरबा.	70 मेगावाट	प्राप्त
10.	मेसर्स धीरू पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-धनरास, तहसील-कटघोरा, कोरबा.	1050 मेगावाट	प्राप्त
11.	मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, कोरबा (पश्चिम), दर्री, कोरबा.	600 मेगावाट	प्राप्त
12.	मेसर्स लैंको अमरकंटक पाँवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-पताड़ी, कोरबा.	1320 मेगावाट	प्राप्त
13.	मेसर्स शालीवहन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तहसील-कटघोरा, कोरबा.	07 मेगावाट	प्राप्त

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	सीपत सुपर थर्मल पाँवर प्रोजेक्ट, एन.टी.पी.सी. सीपत, बिलासपुर.	1980 मेगावाट	प्राप्त
15.	मेसर्स छ. ग. राज्य विद्युत मंडल, ग्राम-मंडवा, जांजगीर-चांपा	1000 मेगावाट	प्राप्त
16.	मेसर्स वर्धा पाँवर कम्पनी लि., ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जांजगीर-चांपा.	3600 मेगावाट	प्राप्त
17.	मेसर्स शांति जी.डी. इस्पात एण्ड पाँवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-महुदा, जांजगीर-चांपा.	15 मेगावाट	प्राप्त
18.	मेसर्स श्री श्याम वेयर हाउसिंग एण्ड पाँवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बनारी, जांजगीर-चांपा.	10 मेगावाट	प्राप्त
19.	मेसर्स अरसमेटा केप्टिव पाँवर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, गोपाल नगर, जांजगीर-चांपा.	43 मेगावाट	प्राप्त
20.	मेसर्स आर. के. एम. पाँवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिंडा, जांजगीर-चांपा.	1400 मेगावाट	प्राप्त
21.	मेसर्स अथेना छ.ग. पाँवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सिंधीतराई बेनीपाली, जांजगीर-चांपा.	1200 मेगावाट	प्राप्त
22.	मेसर्स कोरबा वेस्ट पाँवर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-छोटेभंडार, रायगढ़.	600 मेगावाट	वर्तमान में प्राप्त. पूर्व में स्थापना सम्मति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारंभ करने के कारण उद्योग के विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही की जा रही है.
23.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पाँवर लिमिटेड, (फेस-II), ग्राम-डोंगामहुआ, रायगढ़.	300 मेगावाट	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त. स्थापना सम्मति प्रदान करने की कार्यवाही प्रगति पर है. पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति एवं स्थापना सम्मति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारंभ करने के कारण उद्योग के विरुद्ध दिनांक 13-10-2010 को न्यायालयीन कार्यवाही की गई है.
24.	मेसर्स जिंदल पाँवर लिमिटेड, तमनार, रायगढ़	2400 मेगावाट	अप्राप्त. पर्यावरणीय स्वीकृति एवं स्थापना सम्मति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारंभ करने के कारण उद्योग के विरुद्ध दिनांक 07-07-2010 को न्यायालयीन कार्यवाही की गई है.

(1)	(2)	(3)	(4)
25.	मेसर्स के. एल. इस्पात एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-कुनकुनी, रायगढ़.	10 मेगावाट	प्राप्त
26.	मेसर्स छत्तीसगढ़ हाइड्रो पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-गुल्लू, तहसील-कुनकुरी, जशपुर.	24 मेगावाट	प्राप्त
27.	मेसर्स जी.एम.आर. एनर्जी लिमिटेड, ग्राम-रायखेड़ा, तहसील-तिल्दा, रायपुर.	1370 मेगावाट	अप्राप्त. पर्यावरणीय स्वीकृति तथा स्थापना सम्मति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कारण उद्योग के विरुद्ध दिनांक 29-09-10 को न्यायालयीन कार्यवाही की गई है.
28.	मेसर्स श्रीपुर पावर एण्ड स्टील लिमिटेड, ग्राम-बिरबिरा, महासमुंद.	08 मेगावाट	स्थापना सम्मति प्राप्त. पर्यावरणीय स्वीकृति अप्राप्त. निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है. अतः कार्यवाही नहीं की गई है.
29.	मेसर्स सावित्री पावर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-गंगरेल, धमतरी.	1.20 मेगावाट	प्राप्त
30.	मेसर्स वेनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-कोरहापुर, सरगुजा.	24.75 मेगावाट	प्राप्त
31.	मेसर्स छत्तीसगढ़ एनर्जी कन्सोर्टियम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-इथालकुंडम एवं सदार, बीजापुर.	24.75 मेगावाट	प्राप्त
32.	मेसर्स छत्तीसगढ़ एनर्जी कन्सोर्टियम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-मुचनार, दंतेवाड़ा.	24.75 मेगावाट	प्राप्त
33.	मेसर्स सावित्री पावर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तिलावर्ती, दंतेवाड़ा.	24 मेगावाट	प्राप्त

परिशिष्ट “तीन”

[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 25) के भाग (ख) की जानकारी]

अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दुकानवार संलग्न राशनकार्डधारी हितग्राहियों की जानकारी

क्र. (1)	स्थान का नाम (2)	दुकान में सभी योजनाओं के राशनकार्डों की संख्या (3)
1.	बलौदा	1053
2.	बलौदा	1192
3.	बलौदा	1521
4.	खैजा	861
5.	बोकरेल	612
6.	बेलटुकरी	491
7.	बक्सरा	749
8.	अंगारखार	425
9.	करमा	559
10.	गतवा	674
11.	महुदा (ब)	732
12.	नवापारा (ख)	587
13.	चारपारा	1175
14.	ढोरला	480
15.	बिरगहनी (ब.)	690
16.	जर्वे (ब)	622
17.	औरईकला	433
18.	जावलपुर	1173
19.	रसौंटा	370
20.	पोन्च	424
21.	दहकोनी	365
22.	नवापारा (ब)	383
23.	पहरीया	747
24.	नवागांव	428
25.	परसदा	495
26.	करमन्दा	406
27.	बोकरामुडा	390
28.	बछौद	807
29.	हेड़सपुर	615
30.	रैनपुर	459
31.	खोहा	288
32.	नवगवां	678
33.	बगडबरी	663
34.	खिसोरा	1141
35.	कन्डरा	391
36.	कुरमा	475
37.	कोरबी	742

(1)	(2)	(3)
38.	भिलाई	576
39.	डोन्गरी	503
40.	बुडगहन	878
41.	हरदीविशाल	502
42.	औरईखुर्द	532
43.	देवरी	793
44.	पंनोतरा	828
45.	अकलतरा	1335
46.	अकलतरा	2759
47.	अकलतरा	1249
48.	कोटमीसोनार	2327
49.	अकलतरी	556
50.	करूमहूँ	854
51.	पकरिया (ल.)	437
52.	अर्जुनी	1016
53.	खिसोरा	426
54.	खौंड	352
55.	खटोला	478
56.	साजापाली	571
57.	कोटगढ़	540
58.	परसाही (बाना)	522
59.	बम्हनी	781
60.	कटघरी	862
61.	कल्याणपुर	495
62.	पडरिया	485
63.	पौंडीदल्हा	1361
64.	चंगोरी	902
65.	तरौद	781
66.	अमोरा	1130
67.	तिलई	1379
68.	मुडपार	470
69.	तागा	863
70.	पकरिया झू	824
71.	भैंसतरा दमामी	436
72.	बूचीहरदी	747
73.	कटनई	361
74.	हरदी	1198
75.	बरपाली	402
76.	रसेडा	690
77.	बनाहिल	354
78.	लटिया	416
79.	अमलीपाली	390
80.	मधुवा	343
81.	झलमला	713
82.	फरहदा	361
83.	परसदा	1028
84.	सोनादूला	416

(1)	(2)	(3)
85.	किरारी	1025
86.	कापन	1235
87.	नरियरा	2287
88.	बरगांव	847
89.	मुरलीडीह	893
90.	पचरी	507
91.	बिरकोनी	589
92.	परसाही (नाला)	504
93.	सांकर	588
94.	सोनसरी	863
95.	पौना	767
96.	पिपरसत्ती	844
97.	पिपरदा	451
98.	आरसमेटा	787
99.	अमरताल	785
योग		73490

परिशिष्ट “चार”

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 87) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	जिला	खरीफ वर्ष 2009-10 में उपार्जन केन्द्रों में उपार्जित धान की मात्रा (मेट्रिक टन में)	मार्कफेड के संग्रहण केन्द्रों से उठाव किये गये धान की मात्रा	धान की सूखत मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	1056321	649443	24389
2.	महासमुंद	507891	317754	15589
3.	धमतरी	335674	186051	5230
4.	दुर्ग	640818	355778	18926
5.	राजनांदगांव	182419	105346	3445
6.	कवर्धा	57195	31311	2138
7.	बिलासपुर	318875	118158	5575
8.	कोरबा	47027	0	0
9.	जांजगीर	539543	263525	9286
10.	रायगढ़	364714	61876	2035
11.	जशपुर	22777	0	0
12.	अंबिकापुर	124403	30876	967
13.	कोरिया	19607	0	0
14.	कांकेर	98175	52757	1278
15.	जगदलपुर	96541	0	0
16.	दंतेवाड़ा	15881	10870	363

परिशिष्ट “पांच”

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 326) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

नगरीय क्षेत्र में राशन कार्ड नवीनीकरण/सत्यापन हेतु प्रमुख मानदण्ड

1. शासकीय सेवा से संबंधित परिवारों के लिए 3367/- प्रतिमाह पाने वाले वेतन/मानदेय को परिवार की आय का कट ऑफ आधार माना जावे. इससे अधिक मानदेय/वेतन प्राप्त करने वाले अस्थायी शासकीय कर्मचारियों को बी.पी.एल. राशनकार्ड के लिए अपात्र घोषित किया जावे.
2. नगर निगम क्षेत्रों में 1000 वर्गफीट से अधिक, नगर पालिका क्षेत्र में 1250 वर्गफीट से अधिक और नगर पंचायत क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में हितग्राही के परिवार (पत्नि एवं बच्चों सहित) के पक्के मकान को अपात्रता का आधार बनाया जावे.
3. नगर निगम क्षेत्रों में 1500 वर्गफीट से अधिक, नगर पालिका क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक और नगर पंचायत क्षेत्र में 2500 वर्गफीट से अधिक आवासीय भूमि के मानदण्ड को अपात्रता का आधार बनाया जावे.
4. हितग्राही के स्वयं के खाते में बैंक/डाकघर में एक लाख रुपये से अधिक राशि जमा पाये जाने पर उसे अपात्र माना जावे.
5. मोटर चलित चार पहिया वाहन जैसे ट्रेक्टर, ट्रक, बस, कार की भांति तिपहिया वाहन हितग्राही के पास होने पर उसे अपात्र माना जावे. इसी प्रकार एक से अधिक दुपहिया वाहन जैसे मोटर साईकिल, स्कूटर आदि हितग्राही के नाम से अथवा परिवार के अन्य सदस्यों (पत्नि एवं बच्चों) के नाम से होने पर उसे अपात्र माना जावे.
6. वर्तमान में कूलर, पंखे, मोबाईल, फ्रिज, आदि दैनिक आवश्यक वस्तुएं हो गई हैं, अतः मकान में इन वस्तुओं की उपलब्धता मात्र से उन्हें अपात्र घोषित नहीं किया जावे.
7. परिवार के मुखिया एवं उसकी पत्नि की मृत्यु हो जाने के उपरांत जारी राशन कार्ड का नवीनीकरण परिवार के पात्र पाये गये आश्रित सदस्य के नाम पर कर दिया जावे. ऐसे राशन कार्ड का नवीनीकरण उपरांत मात्र एक राशन कार्ड पात्र आश्रित सदस्य के नाम जारी किया जावे. पूर्व में मुखिया को जिस योजना/रंग का राशनकार्ड जारी किया गया था, उसी योजना/रंग के राशनकार्ड आश्रित सदस्य को जारी किया जावे.

प्रपत्र “ब”

ग्रामीण क्षेत्र में राशन कार्ड नवीनीकरण/सत्यापन हेतु प्रमुख मानदण्ड

1. शासकीय सेवा से संबंधित परिवारों के लिए 4212/- प्रतिमाह को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशन कार्ड हेतु गरीब परिवार की आय का कट ऑफ आधार माना जावे. यह आधार शासन द्वारा कुशल श्रमिक के लिए निर्धारित मानदेय के आधार पर रखा गया है. इससे अधिक मानदेय/वेतन प्राप्त करने वाले अस्थायी शासकीय कर्मचारियों को बी.पी.एल. राशनकार्ड के लिए अपात्र घोषित किया जावे. यह मानदंड उन सभी राशनकार्डधारी जो कि शासकीय कर्मचारी नहीं हैं के लिए लागू नहीं होगा.
2. 10,000 की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाली नगर पंचायत क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक, तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 2,500 वर्गफीट से अधिक के क्षेत्रफल में निर्मित स्वयं के पक्के मकान के मानदण्ड को अपात्रता का आधार बनाया जावे.
3. 10,000 की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाली नगर पंचायत क्षेत्र में 2,500 वर्गफीट से अधिक आवासीय भूमि को अपात्रता का आधार बनाया जावे. ग्रामीण क्षेत्रों (अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर) में 5 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल की कृषि भूमि को अपात्रता का आधार बनाया जावे. अनुसूचित क्षेत्रों में कृषि भूमि के स्वामित्व का मानदण्ड अपात्रता का आधार नहीं होगा.
4. निर्धारित सीमा से अधिक आवासीय भूमि अथवा पक्के मकान हितग्राही के स्वयं के अथवा परिवार (पत्नी एवं बच्चों) के नाम पर होने पर उसे अपात्र माना जाये.
5. हितग्राही के स्वयं के खाते में बैंक/डाकघर में एक लाख रुपये से अधिक राशि जमा पाये जाने पर उसे अपात्र माना जावे.
6. मोटर चलित चार पहिया एवं तिपहिया वाहन जैसे ट्रेक्टर, ट्रक, बस, कार, आटो स्वयं अथवा परिवार के अन्य सदस्य (पत्नी एवं बच्चों) के नाम पर होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे. हितग्राही के परिवार में एक से अधिक मोटर चलित दुपहिया वाहन जैसे मोटर साईकिल, स्कूटर आदि होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे.
7. वर्तमान में कूलर, पंखे, मोबाईल, फ्रिज, आदि दैनिक आवश्यक वस्तुएं हो गई हैं, अतः मकान में इन वस्तुओं की उपलब्धता मात्र से उन्हें अपात्र घोषित नहीं किया जावे.
8. परिवार के मुखिया के मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी के नाम पर राशनकार्ड जारी किया जाए. परिवार के मुखिया पति एवं पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने के उपरांत जारी राशन कार्ड का नवीनीकरण परिवार के पात्र पाये गये आश्रित सदस्य के नाम पर कर दिया जावे. ऐसे राशन कार्ड के नवीनीकरण उपरांत मात्र एक राशनकार्ड पात्र आश्रित सदस्य के नाम पर जारी किया जावे. पूर्व में परिवार के मुखिया के नाम जारी राशन कार्ड डेटा बेस से निरस्त किया जावे. पूर्व में परिवार के मुखिया को जिस योजना/रंग का राशनकार्ड जारी किया गया था, उसी योजना/रंग के राशनकार्ड आश्रित सदस्य को जारी किया जावे.

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 263) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

रायपुर नगर निगम सीमा के भीतर गैस कंपनियों के गोदाम की जानकारी

क्र. (1)	गैस कंपनी का नाम (2)	क्र. (3)	स्थापित गोदाम की जानकारी (4)
1.	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड.	1	प्रकाश गैस सर्विस, पुराने आर.टी.ओ. के पास, रिंग रोड, रायपुर.
		2.	आकाश गैस सर्विस, श्रीनगर खमतराई रोड, रायपुर
		3.	किचन क्विन, गोल चौक रोहणीपुरम, रायपुर
		4.	लालमणी इंडेन, गांधीनगर पंडरी मंदिर गेट के पास, रायपुर.
		5.	रूकमणी गैस, मठपुरैना रिंग रोड, रायपुर
2.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड.	6	मेसर्स गैस हाऊस, छत्तीसगढ़ नगर हरिभूमि प्रेस के पीछे टिकरापारा, रायपुर.
		7.	मेसर्स कल्याण गैस एजेन्सी, दलदल सिवनी रोड मोवा, रायपुर.
3.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड.	8.	लक्ष्मी गैस एजेन्सी, लक्ष्मी नगर, पचपेढ़ी नाका (दावड़ा कालोनी के पास) रायपुर.
		9.	श्री जय मुरारी गैस सर्विस, जी. के. कान्वेंट के पास कोटा रोड गुढ़ियारी, रायपुर.

परिशिष्ट "सात"

[तारंकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 137) के भाग (क) की जानकारी]

01 जनवरी 2009 से 19 नवम्बर 2010 तक की अवधि में रायगढ़ जिले में पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में विद्युत संयंत्रों के लिये की गई लोक सुनवाई का विवरण

क्र.	इकाई का नाम एवं पता	क्षमता	लोक सुनवाई का स्थान	लोक सुनवाई का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मेसर्स एन.आर. इस्पात प्रा.लि. ग्राम-गौरमुड़ी.	स्पंज आयरन, इंगाट्स/बिलेट्स, रोल प्रोडक्ट इकाई के साथ पावर प्लांट डब्ल्यू.एच.आर.बी.- 4 मेगावॉट ए.एफ.बी.सी.-10 मेगावॉट.	आ.जा.क.वि.प्राथ. शाला के समीप, गौरमुड़ी तहसील-तमनार.	01-03-2009
2.	मेसर्स सिंघल इनर्जी लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल.	स्पंज आयरन, फेरोएलायज इकाई के साथ पावर प्लांट डब्ल्यू.एच.आर.बी.- 16 मेगावॉट ए.एफ.बी.सी.-270 मेगावॉट.	बंजारी मंदिर परिसर ग्राम-तराईमाल, तह.-तमनार.	20-06-2009
3.	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-देलारी, रायगढ़.	स्पंज आयरन, इंगाट्स/बिलेट्स, रीरोल्ड प्रोडक्ट्स एवं फेरो एलायल, कोल वाशरी इकाई के साथ पावर प्लांट डब्ल्यू.एच.आर.बी.-8 मेगावॉट ए.एफ.बी.सी.- 46 मेगावॉट.	ग्राम पंचायत मुख्यालय-देलारी तह.-तमनार.	21-06-2009
4.	मेसर्स कोरबा बेस्ट पावर कम्पनी लिमिटेड, ग्राम-बड़े भण्डार.	1×600 मेगावाट	शासकीय मा. शाला. बड़े भण्डार का मैदान तह.-पुसौर.	03-10-2009
5.	मेसर्स वीसा स्टील लि., ग्राम-पतरापाली.	इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट के साथ पावर प्लांट 559 मेगावाट.	शास. हाई स्कूल का मैदान, ग्राम-पतरापाली (पूर्व), तह.-रायगढ़.	10-10-2009
6.	मेसर्स महावीर एनर्जी एण्ड कोल बेनीफिकेशन, ग्राम-भेंगारी, तह.-घरघोड़ा जिला-रायगढ़.	2×30 मेगावाट	शास. उच्चतर मा. विद्यालय ग्राम-नवापारा-टेण्डा का मैदान तह.-घरघोड़ा.	31-10-2009
7.	मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी.	एम.एस.बिलेट्स इकाई के साथ पावर प्लांट 65 मेगावॉट.	हाई स्कूल मैदान गेरवानी विकास खण्ड-रायगढ़.	29-11-2009
8.	मेसर्स आर.आर. इनर्जी लि., ग्राम-गढ़उमरिया.	फेरोएलायज इकाई के साथ पावर प्लांट 25 मेगावाट.	मेसर्स आर.आर. इनर्जी लि. के सामने का मैदान ग्राम-गढ़उमरिया राष्ट्रीय राज्य मार्ग नं. 200 उड़िसा रोड रायगढ़.	07-02-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पाँवर लिमिटेड, ग्राम-डोंगामहुआ.	पाँवर प्लांट 2×150 मेगावाट (क्षमता विस्तार)	ग्राम पंचायत भवन सारसमाल तह.-तमनार.	13-02-2010
10.	मेसर्स जिंदल पाँवर लिमिटेड, तमनार	पाँवर प्लांट 4×600 मेगावाट (क्षमता विस्तार)	आ.जा.क.वि. हाई का मैदान ग्राम-कुंजेमुड़ा तह-तमनार.	08-05-2010
11.	मेसर्स एस. के. एस. पाँवर जनरेशन लिमिटेड, ग्राम-बिंजकोट, दरामुड़ा.	पाँवर प्लांट 1200 मेगावाट	शासकीय हाई स्कूल बिंजकोट का मैदान ग्राम-बिंजकोट तह.-खरसिया.	17-05-2010
12.	मेसर्स स्काय एलायज एण्ड पाँवर प्रा. लिमिटेड, टेमटेमा, तह.-खरसिया.	स्पंज आयरन, इंडक्शन फर्नेश, रोलिंग मिल, फेरो एलायज इकाईयों के साथ पाँवर प्लांट डब्ल्यू.एच.आर.बी.-8 मेगावाट ए.एफ.बी.सी.-50 मेगावाट.	शासकीय प्राथमिक शाला का मैदान ग्राम-टेमटेमा, तह.-खरसिया.	30-06-2010
13.	मेसर्स टी.आर.एन. प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-भेंगारी, तहसील-घरघोड़ा.	पाँवर प्लांट 600 मेगावाट	शास. उच्चतर मा. विद्यालय ग्राम-नवापारा-टेण्डा का मैदान तह.-घरघोड़ा.	14-07-2010
14.	मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. एनर्जी लिमिटेड, ग्राम-कुकुर्दा, तहसील-रायगढ़.	पाँवर प्लांट 1320 मेगावाट	शास. पूर्व माध्यमिक विद्यालय का मैदान ग्राम-कुकुर्दा, तहसील-रायगढ़.	07-08-2010
15.	मेसर्स वीसा पाँवर लिमिटेड ग्राम-डूमरपाली, देवरी	पाँवर प्लांट 2×600 मेगावाट	प्रस्तावित परियोजना स्थल के सामने का मैदान, ग्राम-देवरी तह.-रायगढ़.	27-08-2010
16.	मेसर्स रूपानाधाम स्टील्स प्रा. लिमिटेड ग्राम-सरईपाली.	स्पंज आयरन, एम.एस. बिलेट्स रोलिंग मिल्स/वायर रॉड मिल इकाईयों के साथ पाँवर प्लांट-डब्ल्यू.एच.आर.बी.-6 मेगावाट ए.एफ.बी.सी.-12 मेगावाट.	उद्योग स्थल के बाजू का खुला मैदान ग्राम-सरईपाली, तह.-घरघोड़ा.	28-08-2010
17.	मेसर्स शारडा इनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड ग्राम-कोलम.	पाँवर प्लांट 350 मेगावाट	आ.जा.क. प्राथ. शाला ग्राम-चितवाही के समीप, डोलेसरा-चितवाही पहुंच मार्ग से लगा हुआ मैदान विकासखण्ड-तमनार.	08-09-2010
18.	मेसर्स के.एल.इनर्जी एण्ड कोल बेनीफिकेशन प्रा. लि. ग्राम-देहजरी.	कोल वाशरी इकाई के साथ पाँवर प्लांट 17 मेगावाट.	शा. पूर्व माध्य. विद्यालय, देहजरी से लगभग 500 मीटर दूर, खरसिया-धरमजयगढ़ मार्ग से लगा हुआ मैदान ग्राम-देहजरी, तह.-खरसिया.	24-09-2010

परिशिष्ट “आठ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 381) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

01-04-2010 से 15-11-2010 की अवधि में औद्योगिक क्षेत्र उरला एवं सिलतरा क्षेत्र में ठोस अपशिष्टों के जांच संबंधी
“प्रश्नांश क के प्रथम भाग” का परिशिष्ट

क्र. (1)	जांच की तिथि (2)	जांचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी (3)
1.	06-09-2010	क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर.

प्रपत्र “ब”

01-04-2010 से 15-11-2010 की अवधि में औद्योगिक क्षेत्र उरला एवं सिलतरा क्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता जांच संबंधी
“प्रश्नांश क के द्वितीय भाग” का परिशिष्ट

क्र. (1)	जांच की तिथि (2)	जांचकर्ता /कर्मचारी (3)
1.	01-04-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
2.	05-04-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
3.	20-05-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
4.	24-05-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
5.	31-05-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
6.	03-06-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
7.	07-06-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
8.	10-06-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
9.	10-06-2010	कनिष्ठ वैज्ञानिक, प्रयोगशाला, सहायक प्रयोगशाला परिचारक
10.	14-06-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
11.	21-06-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
12.	24-06-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
13.	28-06-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
14.	09-09-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
15.	13-09-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
16.	20-09-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
17.	23-09-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
18.	27-09-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
19.	30-09-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
20.	04-10-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
21.	07-10-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक

(1)	(2)	(3)
22.	11-10-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
23.	14-10-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
24.	18-10-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
25.	21-10-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
26.	25-10-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
27.	28-10-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
28.	04-11-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
29.	08-11-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
30.	09-11-2010	कनिष्ठ वैज्ञानिक, प्रयोगशाला, सहायक प्रयोगशाला परिचारक
31.	11-11-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक
32.	15-11-2010	जूनियर लेबोरेटरी, असिस्टेंट एवं प्रयोगशाला परिचारक

परिशिष्ट “नौ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 358) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

विकासखण्डवार प्रचलित बी.पी.एल. राशनकार्डों की जानकारी

क्र. (1)	विकासखण्ड (2)	कार्डों की संख्या (3)
1.	खैरागढ़	18946
2.	चौकी	13235
3.	छुईखदान	22477
4.	छुरिया	19182
5.	डोंगरगढ़	21645
6.	डोंगरगांव	15355
7.	मानपुर	13326
8.	मोहला	12834
9.	राजनांदगांव	46081
योग		183081

प्रपत्र "ब"

विकासखण्डवार निरस्त राशनकार्डों की जानकारी

क्र. (1)	विकासखण्ड (2)	निरस्त कार्डों की संख्या (3)
1.	राजनांदगांव	9063
2.	डोंगरगढ़	1935
3.	खैरागढ़	528
4.	छुईखदान (नगर पंचायत गंडई)	420
5.	डोंगरगांव	689
6.	चौकी	325
योग		12960

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “दस”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्रमांक 10) के भाग (ख) की जानकारी]

राम कोल्ड स्टोरेज प्रकरण में किसानों को वापस किए गए चने की मात्रा

क्रमांक (1)	किसानों का विवरण (2)	मात्रा क्विंटल में (3)
1.	बीरबल वर्मा, सुराडबरी, तहसील छुईखदान, राजनांदगांव	75.20
2.	रूपसिंग, निवासी कापा, तहसील साजा, दुर्ग	110.00
3.	मकसुदन वैष्णव, निवासी टिपनी, तह. साजा, दुर्ग	144.10
4.	प्यारेलाल वर्मा, ग्राम चिखली, तह. थानखम्हरिया, दुर्ग	94.20
5.	रावलचंद, तहसील छुईखदान, राजनांदगांव	125.30
6.	चितामण बैश, निवासी कड़कड़ा, तहसील व जिला कवर्धा	148.30
7.	बंसत कोचर, तहसील छुईखदान, राजनांदगांव	75.20
8.	कानमल पृथ्वीराज जैन, तहसील छुईखदान, राजनांदगांव	170.20
9.	शिवकुमार वैष्णव, निवासी पटपर, तहसील लोहारा, जिला दुर्ग	139.00
10.	शिवकुमार वैष्णव, निवासी पटपर, तहसील लोहारा, जिला दुर्ग	140.50
11.	विक्रम साहू निवासी, कुशमुण्डा, तहसील व जिला कवर्धा	142.30
12.	टिकेश्वर गुरूजी, ग्राम बेलतरा, तहसील साजा, जिला दुर्ग	149.90
13.	रामानंद साहू, ग्राम कोसमन्दा, तहसील व जिला कवर्धा	108.50
14.	टिकेश्वर गुरूजी, ग्राम बेलतरा, तहसील साजा, जिला दुर्ग	99.60
15.	मनोज वर्मा, नि. कोटरा, तहसील छुईखदान, राजनांदगांव	150.60
16.	हेमचंद राणा, ग्राम विरेन्द्र नगर तहसील व जिला कवर्धा	96.60
17.	सुरेन्द्र, निवासी मोहमटा, तहसील व जिला कवर्धा	132.60
18.	कानमल पृथ्वीराज जैन, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	168.78
19.	लखन, निवासी भीखमपुर, तहसील व जिला कवर्धा	103.50
20.	संतोष वर्मा, ग्राम कानीमेरा, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	80.20
21.	सुखनंदन चंदाकर, ग्राम कुरूद, तह. थान खम्हरिया, जिला दुर्ग	100.50
22.	नारायण चंद्रकार, ग्राम बनरका, तहसील थान खम्हरिया, जिला दुर्ग	75.40
23.	विजय चंदेल, ग्राम कोहकाटोला, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	80.20
24.	किशोर भट्टर, ग्राम कारेयसरा, तहसील साजा, जिला दुर्ग	140.30
25.	आशिष कुमार, ग्राम थान खम्हरिया, जिला दुर्ग	49.50
26.	धनुष साहू, निवासी कोडका, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	81.10
27.	गौतम पारख, ग्राम जानो, तहसील साजा, जिला दुर्ग	120.60
28.	रामकुमार साहू, ग्राम बेलगांव, तहसील साजा, जिला दुर्ग	150.10
29.	कानमल पृथ्वीराज जैन, ग्राम कोहकाटोला, तहसील छुईखदान, राजनांदगांव	168.98
30.	चंद्रप्रकाश सिंह बैस, ग्राम करकड़ा, तहसील व जिला कवर्धा	120.50
31.	मिलू वर्मा, नि. कुलीकसा, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	80.50

(1)	(2)	(3)
32.	भंवर लाल, रायपुर	150.30
33.	लखन सिंह, ग्राम भीखमपुर, तहसील व जिला कवर्धा	99.90
34.	दिनेश कुमार, ग्राम सीताडबरी, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	125.50
35.	रोहित कुमार, नि. कोर्राय, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	80.40
36.	मनहरण लाल, निवासी डगनिया, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	129.80
37.	सचिन बघेल, ग्राम कुलीकसा, तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	160.60
38.	संजय सिघानिया, ग्राम थान खम्हरिया, जिला दुर्ग	150.60
39.	राधे वर्मा, ग्राम राहुद, तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	160.30
40.	फिरतू राम, साहू ग्राम मोहभठा, तहसील व जिला कवर्धा	160.00
41.	राधे लाल, वर्मा ग्राम राहुद, तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	160.00
42.	मुखी राम साहू, ग्राम कोसमंदा, तहसील व जिला कवर्धा	152.10
43.	दुलौरिन बाई, निवासी भरदाकला, तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	269.50
44.	राधे लाल वर्मा, ग्राम राहुद, तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	160.30
45.	पप्पू, ग्राम विरेन्द्रनगर, तहसील व जिला कवर्धा	170.40
46.	गेंद सिंह उर्फ टेकखन वर्मा, ग्राम हाटरांका, तहसील थानखम्हरिया, जिला दुर्ग	130.60
47.	मनी राम अग्रवाल, ग्राम चारभाठा, तहसील व जिला कवर्धा	100.10
48.	प्रहलाद अग्रवाल, ग्राम खम्हरिया, जिला दुर्ग	140.10
49.	दिनेश कुमार, ग्राम थानखम्हरिया, जिला दुर्ग	129.60
50.	सुरेन्द्र ग्राम साल, तहसील बेमेतरा, जिला दुर्ग	118.79
51.	हुलास राम, ग्राम जोम, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	150.60
52.	बुधराम यादव, ग्राम खोगा, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	150.80
53.	सहस राम, ग्राम गोपालपुर, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	114.70
योग		6787.25

राम कोल्ड स्टोरेज प्रकरण में व्यापारियों को वापस किए गए चने की मात्रा

क्रमांक (1)	व्यापारियों का विवरण (2)	मात्रा क्विंटल में (3)
1.	अजिज भाई रायपुर	151.20
2.	संजय ट्रेडर्स रायपुर	70.40
योग		221.60

सोम कोल्ड स्टोरेज प्रकरण में किसानों को वापस किए गए चने की मात्रा

क्रमांक (1)	किसानों का विवरण (2)	मात्रा क्विंटल में (3)
1.	जीवन लोधी, ग्राम सीताडबरी, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	75.00
2.	शिवदयाल पाठक, ग्राम खम्हरिया, तहसील बेरला, जिला दुर्ग	110.00
3.	गजानंद लोधी, ग्राम सोनपुरी, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	85.00
4.	देवेश सिंह, ग्राम सहसपुर, तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	99.70
5.	धनसिंह लोधी, ग्राम कोटरा, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	74.60
6.	शिवदयाल पाठक, ग्राम खम्हरिया, तहसील बेरला, जिला दुर्ग	64.90
7.	रोमप्रकाश चन्द्राकर, ग्राम बिरनपुर, तहसील व जिला कवर्धा	75.00
8.	तिजउ राम साहू, ग्राम उदयपुर, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	120.00
9.	गौकरुण निषाद, ग्राम खपरी, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	72.40
10.	दुष्यत पुरी गोस्वामी, ग्राम सिधौरी, तह. बेरला, जिला दुर्ग	65.00
11.	पंकज, सालहेपुर ग्राम सालहेपुर तह. बेरला, जिला दुर्ग	105.00
12.	घनश्याम सिंह, ग्राम खिलोरा, तह. धमधा जिला दुर्ग	60.00
13.	अशोक पुरी गोस्वामी, ग्राम सिधौरी, तह. बेरला, जिला दुर्ग	104.60
14.	भीखम चंद जैन, ग्राम उदयपुर, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	74.70
15.	प्रेमचंद, ग्राम कुटेलीकला, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	98.50
16.	पुरषोतम साहू, ग्राम कोसमंदा, तह. सहसपुरलोहारा, जिला कवर्धा	49.80
17.	अशोक पुरी गोस्वामी, ग्राम सिधौरी, तह. बेरला, जिला दुर्ग	105.00
18.	भागीरथी वर्मा, ग्राम चारभांठा, तह. सहसपुर लोहारा, जिला कवर्धा	146.90
19.	देव सिंह निषाद, ग्राम खपरीकला, तह. छुईखदान, जिला राजनांदगांव	99.70
20.	संतोष पटेल, ग्राम खिलौरा, तह. धमधा, जिला दुर्ग	60.00
21.	पुखराज कोचर, ग्राम बिडौरी, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	95.90
22.	खेमसिंह वर्मा, ग्राम चारभांठा, तह. सहसपुरलोहारा, जिला कवर्धा	129.30
23.	लतमार लोधी, ग्राम सीताडबरी, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	100.10
24.	लखन लोधी, ग्राम खपरीदरबार, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	74.90
25.	खेमसिंह वर्मा, ग्राम चारभांठा, तह. सहसपुरलोहारा, जिला कवर्धा	89.70
26.	धनसाय लोधी, भीमपुरी, तह. खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	90.00
27.	राजकुमार जधेल, ग्राम कोटरा, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	80.00
28.	रोमप्रकाश चंद्राकर, ग्राम बिरनपुर, तह. व जिला कवर्धा	74.90
29.	पुना राम, ग्राम अतरिया, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	149.30
30.	मंत्रीबाई, ग्राम उदयपुर, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	75.00
31.	हेमलाल लोधी, ग्राम उदयपुर, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	19.80
32.	राधेलाल वर्मा, ग्राम कोरगिय, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	149.90
33.	टहल राम धुर्वे, ग्राम बोराई, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	74.90
34.	साहिबूपाल, ग्राम कुकुरमुडा, तह. खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	93.50
35.	कुमन साहू, ग्राम कोनका, तह. धमधा, जिला दुर्ग	75.00

(1)	(2)	(3)
36.	बुलाकीराम, ग्राम कोटरा, तह. छुईखदान, जिला राजनांदगांव	75.00
37.	सुधेश पान्डेय, ग्राम कुकरमुडा, तह. खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	89.65
38.	गेदुराम जंघेल, ग्राम अतरिया, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव	150.00
39.	परगनिया कौशल, ग्राम सोनडबरी, तह. साजा, जिला दुर्ग	75.00
40.	रामदयाल साहू, कोनका, तह. धमधा, जिला दुर्ग	75.00
41.	चतुर कुमार साहू, कोनका, तह. धमधा, जिला दुर्ग	75.00
42.	सुधेश पान्डेय, ग्राम कुकरमुडा, तह. खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	90.00
43.	दिपक जैन, ग्राम धौराभांठ, तह. डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव	100.00
44.	प्रभुलाल साहू, ग्राम मानिकचौरी, तह. व जिला कवर्धा	107.50
45.	राजू अग्रवाल, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर	100.00
46.	दिलीप लोधी, ग्राम उदयपुर, तह. छुईखदान, जिला राजनांदगांव	105.50
47.	कमल लोधी, ग्राम उदयपुर, तह. छुईखदान, जिला राजनांदगांव	0.495
48.	राजेन्द्र डाकलिया, ग्राम अमलीडीहखुर्द, तह. खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	19.50
49.	जगदीश साहू एवं देवराम साहू, ग्राम कोनका, तह. धमधा, जिला दुर्ग	140.00
50.	हुलाश राम वर्मा, ग्राम गोदरी, तह. खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	85.00
51.	झम्मन राम जंघेल, ग्राम गर्रापार, तह. खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	90.00
52.	परदेशी सिन्हा, ग्राम सोनडबरी, तह. साजा, जिला दुर्ग	75.00
53.	गेदुराम जंघेल, ग्राम अतरिया, तह. छुईखदान, जिला राजनांदगांव	114.50
54.	कन्हैया सिन्हा, ग्राम सोनडोगरी, तह. साजा, जिला दुर्ग	75.00
55.	फगुवा राम चंदेल, ग्राम अछोली, तह. खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	75.00
56.	खिलावन साहू, ग्राम कोनका, तह. धमधा, जिला दुर्ग	75.00
57.	शंकर अग्रवाल, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर	50.00
58.	खेलनराम लोधी, निवासी कोटरा, तह. छुईखदान, जिला राजनांदगांव	75.00
59.	दीपक जैन, ग्राम धौराभांठा, तह. डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव	100.00
60.	तुलाराम, ग्राम कोनका, तह. धमधा, जिला दुर्ग	75.00
61.	गेदुराम जंघेल, ग्राम अतरिया, तह. छुईखदान, जिला राजनांदगांव	140.00
62.	बलिराम साहू, ग्राम उदयपुर, तह. छुईखदान, जिला राजनांदगांव	75.00
63.	तुलाराम, ग्राम कोनका, तह. धमधा, जिला दुर्ग	75.00
64.	गेदुराम लोधी, ग्राम खपरीदरबार, तह. छुईखदान, जिला राजनांदगांव	64.35
65.	गेदुराम लोधी, ग्राम खपरीदरबार, तह. छुईखदान, जिला राजनांदगांव	97.50
66.	राहुल जैन, ग्राम बीजा, तह. साजा, जिला दुर्ग	66.00
67.	राहुल जैन, ग्राम बीजा, तह. साजा, जिला दुर्ग	22.50
68.	लीलाराम साहू, ग्राम बोराई, तह. छुईखदान, जिला राजनांदगांव	75.00
69.	धनसाय लोधी, ग्राम भीमपुरी, तह. खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	90.00
70.	शंकर अग्रवाल, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर	80.00
71.	मनहरण सिन्हा, ग्राम सोनडोगरी, तह. साजा, जिला दुर्ग	75.00
72.	पुरणलाल जंघेल, ग्राम बोराई, तह. छुईखदान, जिला राजनांदगांव	73.70

(1)	(2)	(3)
73.	देशी राम लोधी, ग्राम भीमपुरी, तह. खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	91.00
74.	शंकर लाल अग्रवाल, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर	60.00
75.	बगस साहु, ग्राम कोनका, तह. धमधा, जिला दुर्ग	75.00
76.	परदेशी राम, ग्राम सोनडोगरी, तह. साजा, जिला दुर्ग	75.00
77.	शंकर लाल अग्रवाल, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर	46.75
78.	शंकर लाल अग्रवाल, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर	100.00
79.	मोहिनी देवी अग्रवाल, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर	46.75
80.	मोहिनी देवी अग्रवाल, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर	79.90
81.	शिवशंकर पाठक, ग्राम खम्हरिया, तहसील बेरला, जिला दुर्ग	125.00
82.	शिवशंकर पाठक, ग्राम खम्हरिया, तहसील बेरला, जिला दुर्ग	125.00
83.	द्वारिका वर्मा, ग्राम केशला, तह. खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	40.00
84.	मोहिनी देवी अग्रवाल, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर	50.00
85.	मोहिनी देवी अग्रवाल, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर	50.00
86.	छगन लोधी, ग्राम भीमपुरी, तह. खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	90.10
87.	रामदयाल लोधी, ग्राम खैरी, तह. छुईखदान, जिला राजनांदगांव	75.00
88.	धुरसिंग साहु, ग्राम उदयपुर, तह. छुईखदान, जिला राजनांदगांव	120.00
89.	झनक वर्मा, ग्राम अछोली, तह. खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	90.00
90.	द्वारिका वर्मा, ग्राम केशला, तह. खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	40.00
91.	द्वारिका वर्मा, ग्राम केशला, तह. खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	30.50
योग		7558.65

सोम कोल्ड स्टोरेज प्रकरण में व्यापारियों को वापस किए गए चने की मात्रा

क्रमांक (1)	व्यापारियों का विवरण (2)	मात्रा क्विंटल में (3)
1.	अंबे ट्रेडर्स, अभनपुर, जिला रायपुर	163.60
2.	गोयल पल्सेस, प्रा. लि. गंजपारा, रायपुर	150.00
3.	रिद्धी एग्रो इण्डस्ट्रीज गंजपारा, रायपुर	100.00
4.	गोयल पल्सेस, प्रा. लि. गंजपारा, रायपुर	30.00
5.	अंबिका इण्डस्ट्रीज तेलधानी नाका, रायपुर	100.00
योग		543.60

परिशिष्ट “ग्यारह”

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 88) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

जिलेवार बी. पी. एल. एवं ए. पी. एल. राशनकार्ड की जानकारी

क्र.	जिला	राशनकार्डों की संख्या	
		बी. पी. एल. राशनकार्ड (3)	ए. पी. एल. राशनकार्ड (4)
(1)	(2)		
1.	दंतेवाड़ा	91610	11399
2.	बस्तर	223113	91653
3.	बीजापुर	46789	9079
4.	नारायणपुर	20382	6491
5.	कोरबा	154374	94174
6.	धमतरी	97537	58807
7.	महासमुंद	165854	70315
8.	रायपुर	479086	308804
9.	कोरिया	84974	78481
10.	रायगढ़	200938	128945
11.	कक्कर	103714	95367
12.	दुर्ग	402462	260394
13.	कबीरधाम	121439	32385
14.	राजनांदगांव	183180	134620
15.	जांजगीर-चांपा	224034	205393
16.	जशपुर	102656	76682
17.	बिलासपुर	385423	208484
18.	सर्गुजा	363724	127848
योग		3451289	1999321

प्रपत्र "ब"

राशनकार्ड सत्यापन उपरांत निरस्त किये गये राशनकार्डों की जानकारी

क्र. (1)	जिला (2)	निरस्त राशनकार्डों की संख्या (3)
1.	देतेवाड़ा	2707
2.	बस्तर	7052
3.	बीजापुर	-
4.	नारायणपुर	1113
5.	कोरबा	5491
6.	धमतरी	1551
7.	महासमुंद	4339
8.	रायपुर	45607
9.	कोरिया	4418
10.	रायगढ़	5029
11.	कांकेर	1204
12.	दुर्ग	29286
13.	कबीरधाम	2792
14.	राजनांदगांव	12960
15.	जांजगीर-चांपा	5212
16.	जशपुर	1917
17.	बिलासपुर	14513
18.	सरगुजा	4721
योग		149912

परिशिष्ट "बारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्रमांक 331) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

नगर निगम बिलासपुर को नगर विकास हेतु विभिन्न मद/कार्यवार स्वीकृत एवं प्रदान की गयी राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष 2007-08

क्र.	मद/कार्यवार का विवरण	स्वीकृत राशि	प्रदान की गई राशि	राशि लाखों में
				दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पार्षद निधि	88.50	88.50	01-05-07
2.	अधोसंरचना विकास हेतु (विगत वर्ष में स्वीकृत राशि की किश्त)	-	12.50	01-05-07
3.	ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट निवारणार्थ पेयजल परिवहन हेतु.	30.00	30.00	17-05-07
4.	पुष्पवाटिका उद्यान योजना	6.30	3.15	17-05-07
5.	ज्ञानस्थली योजना	8.00	4.00	17-05-07
6.	अधोसंरचना विकास	500.00	500.00	30-07-07
7.	अधोसंरचना विकास	400.00	400.00	10-08-07
8.	सीवर सक्शन मशीन (9000 लीटर+ 3000 लीटर 1-1 नग)	20.37	20.37	23-08-07
9.	अधोसंरचना विकास	500.00	500.00	12-10-07
10.	12 वां वित्त आयोग 02 स्वीपिंग मशीन	140.00	140.00	08-11-07
11.	आडिटोरियम निर्माण हेतु	500.00	125.00	13-11-07
12.	सरोवर धरोहर योजना	70.53	35.26	28-11-07
13.	अधोसंरचना विकास	300.00	300.00	11-12-07
14.	मुक्तिधाम योजना	60.00	30.00	01-02-08
15.	अधोसंरचना विकास	500.00	500.00	04-03-08
16.	आडिटोरियम निर्माण अंतिम किश्त	-	375.00	20-03-08
17.	अधोसंरचना विकास	300.00	300.00	20-03-08
18.	अधोसंरचना विकास	700.00	700.00	20-03-08
19.	गौरव पथ निर्माण(विगत वर्ष में स्वीकृत राशि की किश्त)	-	772.24	24-03-08

वित्तीय वर्ष 2008-09-

1.	सी. सी. रोड, नाली निर्माण (समग्र विकास कार्य) प्रथम किश्त.	2500.00	625.00	05-05-08
2.	मंगला नाला मुआवजा भुगतान हेतु ऋण	143.20	143.20	28-06-08
3.	मंगला नाला मुआवजा भुगतान हेतु अनुदान	61.37	61.37	28-06-08
4.	समग्र विकास कार्य (द्वितीय किश्त)	-	62.50	22-07-08
5.	समग्र विकास कार्य (द्वितीय किश्त)	-	562.50	29-07-08
6.	पार्षद निधि	88.50	88.50	14-08-08
7.	सार्वजनिक प्रसाधन योजना	50.00	25.00	16-09-08
8.	विकास कार्यो हेतु	1000.00	1000.00	01-10-08
9.	हाट बाजार समृद्धि का आधार	100.00	50.00	26-12-08
10.	समग्र विकास कार्य (तृतीय किश्त)	-	625.00	27-01-09
11.	प्राकृतिक आपदा सुरक्षा हेतु	200.00	200.00	05-02-09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	पेयजल संकट निवारण हेतु	30.00	30.00	28-02-09
13.	समग्र विकास कार्य की अंतिम/चौथा किश्त	-	625.00	07-03-09
14.	आई. एच. एस. डी. पी. योजनांतर्गत शास. भूमि के लिए भुगतान.	55.33	55.33	18-03-09
15.	यू. डी. आई. एस. एस. एम. टी. योजनांतर्गत सीवरेज प्लांट निर्माण हेतु शास. भूमि के भुगतान.	19.60	19.60	18-03-09

वित्तीय वर्ष 2009-10

1.	वार्डवार मूलभूत सुविधा	500.00	500.00	17-06-09
2.	पार्षद निधि	88.50	88.50	17-06-09
3.	तिफरा रेल्वे ओव्हर ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट व्यवस्था (प्रथम किश्त)	23.50	2.35	03-08-09
4.	12 वें वित्त आयोग	125.00	125.00	06-08-09
5.	सरोवर धरोहर योजना (विगत वर्ष में स्वीकृत राशि की किश्त)	-	35.27	24-08-09
6.	मुक्तिधाम योजना (विगत वर्ष में स्वीकृत राशि की किश्त)	-	30.00	25-08-09
7.	अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	500.00	500.00	25-09-09
8.	आपदा प्रबंधन अन्तर्गत 1 नग फायर ब्रिगेड 1 नग 3 डी मशीन 25.96+17.30	43.26	43.26	22-10-09
9.	अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	500.00	500.00	16-11-09
10.	ज्ञानस्थली योजना (विगत वर्ष में स्वीकृत राशि की किश्त)	-	8.00	17-11-09
11.	तिफरा रेल्वे ओव्हर ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट व्यवस्था (विगत वर्ष में स्वीकृत राशि की किश्त)	-	21.15	15-02-10
12.	पुष्पवाटिका उद्यान योजना	3.10	1.55	9-03-10
13.	भागीरथी नल जल योजना	77.58	10.25	12-03-10
14.	ग्रीष्मकालीन पेयजल व्यवस्था	100.00	100.00	17-03-10
15.	अधोसंरचना विकास कार्य	205.05	205.05	17-03-10
16.	अधोसंरचना विकास कार्य	203.37	203.37	17-03-10
17.	भूमिगत सिवरेज योजना	1750.00	1750.00	29-03-10
18.	भूमिगत सिवरेज योजना	750.00	750.00	29-03-10
19.	आपदा प्रबंधन	5.94	5.94	31-03-10

वित्तीय वर्ष 2010-11

1.	भागीरथी नल जल योजना (विगत वर्ष में स्वीकृत राशि की किश्त)	-	33.31	12-04-10
2.	पार्षद निधि	82.50	82.50	01-05-10
3.	सार्वजनिक प्रसाधन योजना	40.80	40.80	19-05-10
4.	13 वां वित्त आयोग	250.00	250.00	03-09-10
5.	अधोसंरचना विकास कार्य	500.00	500.00	20-09-10
6.	वार्ड क्र. 39 गणेश नगर में सामु. भवन निर्माण.	5.00	5.00	12-10-10
7.	आडिटोरियम निर्माण हेतु अति. राशि 150.00 लाख+ अधोसंरचना (आपदा) 200.00 लाख.	350.00	350.00	26-10-10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	ज्ञानस्थली योजना	5.25	2.62	10-11-10
9.	पुष्पवाटिका उद्यान योजना (विगत वर्ष में स्वीकृत राशि की किस्त)	-	1.55	10-11-10
10.	सार्वजनिक प्रसाधन योजना (विगत वर्ष में स्वीकृत राशि की किस्त)	-	25.00	10-11-10

परिशिष्ट “तेरह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 366) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

खम्हारपाली बैरियर में अप्रैल, 2010 से 15 नवंबर, 2010 तक विभिन्न मदों से प्राप्त राजस्व की जानकारी

क्र.	माह	शमन-शुल्क	मालयान कर/ त्रै-मासिक कर	यात्री यान/ मासिक कर	परमिट फीस	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अप्रैल-2010	1,01,41,050.00	9,48,513.00	1,17,880.00	2,29,500.00	1,14,36,943.00
2.	मई-2010	1,02,17,000.00	11,93,727.00	2,05,300.00	2,93,250.00	1,19,09,277.00
3.	जून-2010	1,02,51,700.00	9,39,830.00	89,610.00	2,40,000.00	1,15,21,140.00
4.	जुलाई-2010	1,03,15,500.00	10,91,330.00	39,468.00	2,74,500.00	1,17,20,798.00
5.	अगस्त-2010	1,00,66,600.00	10,17,570.00	83,310.00	2,41,500.00	1,14,08,980.00
6.	सितम्बर-2010	1,00,55,100.00	10,87,189.00	39,490.00	2,46,000.00	1,14,27,779.00
7.	अक्टूबर-2010	1,00,55,300.00	8,72,575.00	1,03,160.00	2,22,750.00	1,12,53,785.00
8.	नवम्बर-2010 (15 नवंबर, 2010)	91,04,000.00	8,63,140.00	33,410.00	2,24,250.00	1,02,24,800.00
कुलयोग		8,02,06,250.00	80,13,874.00	7,11,628.00	19,71,750.00	9,09,03,502.00

प्रपत्र “ब”

खम्हारपाली परिवहन चेकपोस्ट के अतिरिक्त अन्य मार्गों पर आकस्मिक रूप से की गई जांच एवं उनसे प्राप्त राजस्व की मदवार जानकारी (माह जनवरी-2010 से 15 नवंबर, 2010 तक)

क्र.	माह	शमन-शुल्क	मालयान कर/ त्रै-मासिक कर	यात्री यान/ मासिक कर	परमिट फीस	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) सरसींवा-सरायपाली मार्ग-						
1.	जनवरी-2010	3,70,400.00	7,000.00	-	-	3,77,400.00
2.	फरवरी-2010	2,07,800.00	30,400.00	-	-	2,38,200.00
3.	मार्च-2010	1,40,000.00	33,470.00	-	-	1,73,470.00
4.	अप्रैल-2010	2,94,500.00	1,15,454.00	-	6,000.00	4,15,954.00
5.	मई-2010	1,72,000.00	56,580.00	-	-	2,28,580.00
6.	जून-2010	2,12,400.00	33,270.00	-	1,500.00	2,47,170.00
7.	जुलाई-2010	1,47,400.00	42,250.00	-	-	1,89,650.00
8.	अगस्त-2010	2,14,400.00	61,200.00	-	3,000.00	2,78,600.00
9.	सितम्बर-2010	83,900.00	66,490.00	-	1,500.00	1,51,890.00
10.	अक्टूबर-2010	73,300.00	53,980	-	9000.00	1,36,280.00
11.	नवंबर-2010 (15 नवंबर-2010 तक)	57,100.00	6,260.00	-	1,500.00	64,860.00
कुल योग		19,73,200.00	5,06,354.00	-	22,500.00	25,02,054.00

(2) सरायपाली से सांगढ़ मार्ग-

1.	जनवरी-2010	4,08,600.00	28,445.00	-	6,000.00	4,43,045.00
2.	फरवरी-2010	3,12,000.00	64,800.00	-	9,000.00	3,85,800.00
3.	मार्च-2010	1,52,800.00	66,972.00	-	6,000.00	2,25,772.00
4.	अप्रैल-2010	2,29,100.00	27,390.00	-	6,000.00	2,62,490.00
5.	मई-2010	1,89,000.00	59,850.00	-	3,000.00	2,51,850.00
6.	जून-2010	2,71,500.00	35,370.00	-	9,000.00	3,15,870.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	जुलाई-2010	1,56,200.00	27,100.00	-	-	1,83,300.00
8.	अगस्त-2010	2,56,500.00	68,500.00	-	1,500.00	3,26,500.00
9.	सितम्बर-2010	2,50,000.00	45,050.00	-	1,500.00	2,96,550.00
10.	अक्टूबर-2010	1,90,700.00	68,290.00	-	22,500.00	2,81,490.00
11.	नवंबर-2010 (15 नवंबर-2010 तक)	1,26,900.00	73,600.00	-	14,250.00	2,14,750.00
कुल योग		25,43,300.00	5,65,367.00	-	78,750.00	31,87,417.00

(3) गरियाबंद-देवभोग मार्ग

1.	जनवरी-2010	18,500.00	1,200.00	-	1,500.00	21,200.00
2.	फरवरी-2010	-	-	-	-	-
3.	मार्च-2010	-	-	-	-	-
4.	अप्रैल-2010	39,600.00	300.00	-	-	39,900.00
5.	मई-2010	49,000.00	25,780.00	-	16,500.00	91,280.00
6.	जून-2010	35,900.00	3,900.00	-	2,250.00	42,050.00
7.	जुलाई-2010	55,000.00	1,330.00	-	1500.00	57.830.00
8.	अगस्त-2010	-	-	-	-	-
9.	सितम्बर-2010	-	-	-	-	-
10.	अक्टूबर-2010	-	-	-	-	-
11.	नवंबर-2010 (15 नवंबर-2010 तक)	-	-	-	-	-
कुल योग		1,98,000.00	32,510.00	-	21,750.00	2,52,260.00

टीप - गरियाबंद-देवभोग मार्ग पर माह फरवरी-2010, मार्च-2010, एवं अगस्त-2010 से नवंबर-2010 (15 नवंबर 2010 तक) आकस्मिक जांच नहीं किये जाने के कारण उक्त माहों में राजस्व जानकारी “ निरंक ” है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(4) रायगढ़-हमीरपुर मार्ग						
1.	जनवरी-2010	1,65,000.00	78,060.00	-	50,250.00	2,93,310.00
2.	फरवरी-2010	1,01,700.00	75,980.00	-	46,500.00	2,24,180.00
3.	मार्च-2010	1,02,300.00	69,880.00	-	36,000.00	2,08,180.00
4.	अप्रैल-2010	90,200.00	53,180.00	-	32,250.00	1,75,630.00
5.	मई-2010	1,11,500.00	78,880.00	-	38,250.00	2,28,630.00
6.	जून-2010	1,77,900.00	93,740.00	-	51,750.00	3,23,390.00
7.	जुलाई-2010	1,17,400.00	79,410.00	-	44,250.00	2,41,060.00
8.	अगस्त-2010	1,76,600.00	1,30,590.00	-	93,750.00	4,00,940.00
9.	सितम्बर-2010	1,20,800	60,090.00	-	39,000.00	2,19,890.00
10.	अक्टूबर-2010	1,42,000.00	96,510.00	-	67,500.00	3,06,010.00
11.	नवंबर-2010 (15 नवंबर-2010 तक)	90,000.00	46,080.00	-	31,500.00	1,67,580.00
कुल योग		13,95,400.00	8,62,400.00	-	5,31,000.00	27,88,800.00

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “चौदह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 334) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

जिला जांजगीर-चांपा के अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30-10-2010 तक विभिन्न कोसा उद्यानों से ककून उत्पादन की वर्षवार जानकारी

क्र.	विधान सभा क्षेत्र	विकासखंड	योजना	संचालित उद्यान का नाम	कोसा उत्पादन			
					वर्ष-2007-08	2008-09	2009-10 (मार्च 10 तक की स्थिति)	2010-11 (अक्टूबर 10 तक की स्थिति)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	अकलतरा	बलोदा	टसर	कोसा केन्द्र - रामपुर	156000	114100	180960	74450
				कोसा केन्द्र - डोंगरी	22000	18100	18200	20900
				कोसा केन्द्र - शनिचरा डीह	29000	12800	27000	41700
				कोसा केन्द्र - महूदा	17500	20000	38500	0
				रे. परि. केन्द्र - भिलाई	89800	109850	111700	5200
				रे. परि. केन्द्र - कटरा-बी	153000	189125	149060	24100
				रे. परि. केन्द्र - कटरा-1	70000	105000	134800	36100
				रे. परि. केन्द्र - करमा	96060	103500	134440	35500
				रे. परि. केन्द्र - बुढना	100000	123920	57000	54000
				रे. परि. केन्द्र - बेलटुकरी	74930	50800	60000	15350
	अकलतरा	टसर	रे. परि. केन्द्र - परसाही	68100	78110	76950	6100	
			रे. परि. केन्द्र - कटघरी	72400	115100	109700	0	
			रे. परि. केन्द्र - पोडी दल्हा	81700	66200	103500	31300	
			पी. पी. सी. - परसाही	160700	114300	139700	58600	
योग :-					1191190	1220905	1341510	403300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	धागाकरण समूह मधुवा अकलतरा.	4140	सी-750	श्री गोविंद राम	18590	डी-630 मोमरा-250	श्री संतराम देवांगन ग्राम बलौदा.	75000	सी-850-900 डी-700-750			
		1125	पोली-बी-400	ग्राम बलौदा.			श्री चंन्द्रिका प्रसाद देवांगन ग्राम बलौदा.	131600				
		7175	पोली-सी-325									
		4000	ग्रेड-सी-750									
	योग :-	957095			959245			785860				187000

प्रपत्र "स"

**अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रपत्र "अ" में उल्लेखित उत्पादन को परिशिष्ट दो में उल्लेखित दर पर एवं बुनकर हितग्राहियों को वर्ष वार विक्रय का विवरण
(अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के बाहर के बुनकर हितग्राहियों को विक्रय विवरण)**

क्रमांक	बुनकर हितग्राही का नाम	वर्ष 2007-08			वर्ष 2008-09			वर्ष 2009-10- (मार्च 10 तक की स्थिति)			वर्ष 2010-11 (अक्टूबर 10 तक की स्थिति)				
		विक्रय कोसाफल की संख्या (3)	विक्रय दर प्रति हजार ग्रेड अनुसार (4)	स. क्र. (5)	बुनकर हितग्राही का नाम (6)	विक्रय कोसाफल की संख्या (7)	विक्रय दर प्रति हजार ग्रेड अनुसार (8)	स. क्र. (9)	बुनकर हितग्राही का नाम (10)	विक्रय कोसाफल की संख्या (11)	विक्रय दर प्रति हजार ग्रेड अनुसार (12)	स. क्र. (13)	बुनकर हितग्राही का नाम (14)	विक्रय कोसाफल की संख्या (15)	विक्रय दर प्रति हजार ग्रेड अनुसार (16)
1.	श्री होरी लाल देवांगन सिवनी.	8860	सी ग्रेड-750 डी ग्रेड-630 मोमरा-250	1	श्री होरी लाल देवांगन सिवनी	197800	सी ग्रेड-825 डी ग्रेड-630 मोमरा-250	1	धागाकरण समूह उमरैली	23000	सी ग्रेड-875 डी ग्रेड-725 मोमरा-260	1	सीएसबी बिलासपुर.	69200	ए-ग्रेड-1150 ब-ग्रेड-1050 सी ग्रेड-850
2.	श्री अनिल कुमार उमरैली.	225235	सी ग्रेड-750 डी ग्रेड-630 मोमरा-250	2	श्री शिवप्रसाद चांपा.	38000	सी ग्रेड-825 डी ग्रेड-630 मोमरा-250	2	श्री मोहन देवांगन उमरैली.	73300	सी ग्रेड-825 डी ग्रेड-630 मोमरा-250	2	श्री अनिल कुमार देवांगन सिवनी.	72150	ए-ग्रेड-1150 ब-ग्रेड-1050 सी ग्रेड-850 डी ग्रेड-750 मोमरा-260
				3	श्री उमेश	25860	सी ग्रेड-825 डी ग्रेड-630 मोमरा-250	3	सीएसबी. बिलासपुर.	343560	ए-ग्रेड-1150 ब-ग्रेड-1050 सी ग्रेड 850	3	श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन चांपा.	12700	ए ग्रेड-1150 ब ग्रेड-1050 सी ग्रेड-850 डी ग्रेड-750 मोमरा-260
				4	खादी ग्रामोद्योग सिवनी	115790	ए- ग्रेड-1150 ब ग्रेड-1050 सी ग्रेड-850 डी ग्रेड-700	4	श्री ठाकुर प्रसाद देवांगन चांपा.	30000	ए ग्रेड-1150 ब ग्रेड-1050 सी ग्रेड-925 डी ग्रेड-750 मोमरा-260	4	श्री ठाकुर प्रसाद देवांगन चांपा.	30000	ए ग्रेड-1150 ब ग्रेड-1050 सी ग्रेड-925 डी ग्रेड-750 मोमरा-260

परिशिष्ट “पंद्रह”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 230) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

संचालन एजेंसीवार उचित मूल्य दुकान एवं आर्वांरटित तिथि की जानकारी

नगर निगम क्षेत्र जगदलपुर

क्रमांक (1)	शा. उ. मू. दुकान का नाम (2)	संचालन एजेंसी का नाम (3)	आर्वांरटित दुकान दिनांक (4)
1.	प्रवीर वार्ड	सहकारी विपणन संस्था	14-04-2006
2.	विजय वार्ड	करना कोटिन स्व सहायता समूह	14-04-2006
3.	शिवमंदिर वार्ड	प्रा. आ. सह समिति	14-04-2006
4.	भैरमदेव वार्ड	मा. कामाख्या म. स्व सहा. स.	14-04-2006
5.	वीरसावरकर वार्ड	मां दंतेश्वरी स्व सहायता समूह	14-04-2006
6.	भगतसिंह वार्ड	युवा बेरोजगार समूह	14-04-2006
7.	सिविल लाईन वार्ड	मां काली स्व सहायता समूह	14-04-2006
8.	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	प्रा. शि. युवा बेरोजगार समिति	14-04-2006
9.	सुभाष सदर वार्ड	जागृति महिला बचत साख समूह	14-04-2006
10.	रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड	महिला औद्योगिक श्रमिक सह. समिति मर्या. जगदलपुर.	14-11-2007
11.	प्रताप देव+बालाजी वार्ड	रौशनी बचत साख स्व सहा. स.	14-04-2006
12.	महारानी वार्ड	मां दंतेश्वरी महिला बचत साख स.	14-04-2006
13.	मोतीलाल नेहरू वार्ड	छ. ग. हैंडी. वेलफेयर सोसायटी मोतीलाल नेहरू वार्ड.	22-07-2008
14.	इंदिरा वार्ड	प्रा. आदर्श सह. समिति इंदिरा वार्ड	14-04-2006
15.	रमैया वार्ड	मां छिन्दावली मां काली स्व. स. स. रमैया वार्ड.	14-04-2006
16.	दलपत सागर वार्ड	मां शैरावाली बचत स्व सहायता समूह (प्रा. शि. बेरोजगार सहकारी समिति जगदलपुर में संलग्न)	31-08-2010
17.	दिनदयाल वार्ड	छ. ग. हैंडी. वेलफेयर सोसायटी	14-04-2006
18.	दंतेश्वरी वार्ड	प्राथमिक आदर्श सह. समिति	14-04-2006
19.	राजेन्द्र नगर वार्ड	इंदिरा ज्योति स्व सहा. स.	14-04-2006
20.	गांधीनगर वार्ड	मां वैश्रवणी महिला स्व सहा. स.	14-04-2006
21.	गंगा नगर वार्ड	प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार	14-04-2006
22.	जवाहर नगर वार्ड	स्नेह महिला स्व सहा. स.	14-04-2006
23.	शांती नगर वार्ड	जीवन ज्योति महिला स्व सहायता समूह (सहकारी विपणन समिति में संलग्न)	14-04-2009
24.	मदर टेरेसा वार्ड	अमर शहीद खुदीराम शि. स.	14-04-2006
25.	संतोषी वार्ड	मां संतोषी महिला स्व सहा. स.	14-04-2006
26.	गुरुघासीदास वार्ड	आशीष स्व सहा. स.	14-04-2006
27.	अम्बेडकर वार्ड	महिला साख समिति	14-04-2006
28.	विवेकानंद वार्ड	धारणी महिला ब. एवं सा. स.	14-04-2006

(1)	(2)	(3)	(4)
29.	अनुकुल देव वार्ड	जगदम्बा महिला ब. एवं सा. स.	14-04-2006
30.	राजीव गांधी वार्ड	अमर शहीद खुदी राम बोस शि. स.	14-04-2006
31.	संजय गांधी + सुन्दर लाल शर्मा वार्ड	अमर शहीद खुदी राम बोस शि. स.	14-04-2006
32.	लोकमान्य तिलक वार्ड	मां दंतेश्वरी महिला जागरण समूह	14-04-2006
33.	गुरुगोविन्द सिंह वार्ड	मां बम्लेश्वरी स्व सहा. स.	14-04-2006
34.	लोकमान्य तिलक वार्ड	आस्था महिला एवं ब. सा. स.	14-04-2006
35.	अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड	तिरुपति बालाजी स्व सहा. स. (लेम्पस जगदलपुर में संलग्न)	23-08-2010
36.	श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड	प्राथमिक शिक्षित बेरोजगार युवा	14-04-2006
37.	डॉ. अब्दुल कलाम वार्ड	गंगा मां दंतेश्वरी स्व सहा. स.	14-04-2006

विकासखंड जगदलपुर (ग्रामीण क्षेत्र)

38.	तितिरगांव	ग्राम पंचायत	13-04-2006
39.	कालीपुर	ग्राम पंचायत	09-03-2005
40.	बालीकोटा	मुक्ता महिला स्व सहा. समूह	13-04-2006
41.	आसना	लेम्पस जगदलपुर	09-03-2005
42.	तुरैनार	महिला स्व समूह (लेम्पस माडपाल में संलग्न)	13-08-2010
43.	कलचा	ग्राम पंचायत	13-04-2006
44.	करनपुर	लेम्पस (नगरनार में संलग्न)	20-05-2010
45.	उपनपाल	ग्राम पंचायत	13-04-2006
46.	भेजापदर	महिला समूह	09-03-2005
47.	नगरनार	ग्राम पंचायत	03-06-2005
48.	धनपूंजी	ग्राम पंचायत	13-04-2006
49.	कस्तुरी	ग्राम पंचायत	13-04-2006
50.	माडपाल	लेम्पस (लेम्पस माडपाल में संलग्न)	22-12-2009
51.	खम्हारगांव	ग्राम पंचायत	13-04-2006
52.	धुरगुड़ा	ग्राम पंचायत	13-04-2006
53.	बाबूसेमरा	ग्राम पंचायत	13-04-2006
54.	गरावण्डखुर्द	लेम्पस माडपाल	26-06-2008
55.	बिरिंगपाल	ग्राम पंचायत	13-04-2006
56.	कुमरावंड	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार जगदलपुर.	26-05-2007
57.	आडावाल	पूनम महिला स्व सहायता समूह	13-04-2006
58.	मारकेल	आंगन बाड़ी महिला स्व सहायता समूह	13-04-2006
59.	बम्हनी	महिला स्व सहायता समूह	13-04-2006
60.	आमागुड़ा	ग्राम पंचायत	09-03-2005
61.	चोकावाड़ा	लेम्पस (बम्हनी में संलग्न)	29-03-2010
62.	कुम्हली	लेम्पस (बम्हनी में संलग्न)	31-08-2010
63.	कुरंदी	ग्राम पंचायत	09-03-2005
64.	बिलोरी	थोक प्राथमिक उपभोक्ता समिति	09-04-2009
65.	नियानार	लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह	13-04-2006
66.	सरगीपाल	ग्राम पंचायत	09-03-2005
67.	परपा	अंजली स्व सहायता समूह	09-03-2005
68.	पंडरीपानी	लेम्पस जगदलपुर में संलग्न	28-07-2010
69.	तुसैल	महिला स्व सहायता समूह	13-04-2006
70.	जाटम	महिला स्व सहायता समूह	13-04-2006
71.	साड़गुड़	ग्राम पंचायत	13-04-2006
72.	धनियालू	ग्राम पंचायत	13-04-2006

(1)	(2)	(3)	(4)
73.	पुसपाल	कल्याणी महिला स्व सहायता समूह	22-12-2009
74.	हाटपदमुर	ग्राम पंचायत	13-04-2006
75.	उलनार	लेम्पस (बड़ेमुरमा में संलग्न)	22-07-2010
76.	जामावाड़ा	ग्राम पंचायत	13-04-2006
77.	काकरवाड़ा	ग्राम पंचायत	13-04-2006
78.	बिरनपाल	महिला समूह	09-03-2005
79.	बड़ेमुरमा	नव उत्थान विकास समिति इंदिरा वार्ड गुरुद्वारा रोड जगदलपुर.	12-10-2006
80.	मांझीगुड़ा	ग्राम पंचायत	13-04-2006
81.	नानगुर	ग्राम पंचायत	13-04-2006
82.	कैकागढ़	नारी उन्नति महिला स्व सहायता समूह	13-04-2006
83.	कावापाल	ग्राम पंचायत	13-04-2006
84.	कवालीकला	मानव उत्थान शिक्षा संस्थान जगदलपुर	12-10-2006
85.	छोटेकवाली	महिला स्व सहायता समूह	09-03-2005
86.	कोलावाड़ा	ग्राम पंचायत	13-04-2006
87.	नेतानार	ग्राम पंचायत	13-04-2006
88.	हल्बाकचौरा	दीपिका महिला स्व सहायता समूह	09-03-2005
89.	घाटपदमूर	लेम्पस जगदलपुर	26-12-2009
90.	पोड़ागुड़ा	पुरुष स्व सहायता समूह	09-03-2005
91.	करकापाल	लेम्पस जगदलपुर में संलग्न	21-10-2010
92.	नकटीसेमरा	एक्टिव समूह	13-04-2006
93.	तिरिया	वन सुरक्षा समिति	09-03-2005

विकासखण्ड दरभा (ग्रामीण क्षेत्र)

94.	नेगानार	वनवासी एवं विकास सहकारी समिति मर्या. बालीकोन्टा जगदलपुर.	18-08-2009
95.	लेण्ड्रा	ग्राम पंचायत लेण्ड्रा	25-05-2005
96.	कोयनार	ग्राम पंचायत	24-05-2005
97.	ककनार	जय श्री राम महिला स्व सहायता समूह माहकापाल (ककनार).	24-05-2005
98.	छिन्दबहार	जय मां लक्ष्मी म. स्व सहा. समूह छिन्दबहार	01-07-2005
99.	चिंगपाल	सरस्वती महिला स्व सहा. समूह	24-05-2005
100.	केशापुर	सरस्वती महिला स्व सहा. समूह	23-06-2005
101.	मावलीपदर	ग्राम पंचायत	21-07-2010
102.	कामानार	ग्राम पंचायत	24-05-2005
103.	तिरथगढ़	ग्राम पंचायत	13-06-2005
104.	दरभा	आ. जा. सेवा सह. समिति दरभा	13-04-2006
105.	टाहकवाड़ा	महिला स्व सहायता समूह	24-05-2005
106.	कनकापाल	ग्राम पंचायत	24-05-2005
107.	कोलेंग	ग्राम पंचायत	24-05-2005
108.	छिन्दगुर	ग्राम पंचायत (लेम्पस दरभा में संलग्न)	18-02-2010

प्रपत्र "ब"

उचित मूल्य दुकानवार की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	ग्राम पंचायत/ वार्ड का नाम	संचालन एजेन्सी	प्राप्त अनियमितताएं	की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चोकावाड़ा	ग्राम पंचायत	खाद्यान्न, शक्कर, नमक, केरोसीन के वितरण में अनियमितताएं पाई.	दुकान निलंबित कर लेम्पस बम्हनी में संलग्न किया गया है.
2.	कुम्हली	मां दंतेश्वरी प्रा.औ. सह. समिति मर्या. जगदलपुर.	खाद्यान्न, शक्कर, नमक, केरोसीन के वितरण में अनियमितताएं पाई.	दुकान निलंबित कर लेम्पस बम्हनी में संलग्न किया गया है.
3.	करनपुर	सुमति महिला स्व सहायता समूह.	खाद्यान्न, शक्कर, नमक, केरोसीन के वितरण में भारी अनियमितताएं पाई.	दुकान निलंबितकर लेम्पस नगरनार में संलग्न किया गया है.
4.	तुरेनार	मां दन्तेश्वरी मुक्ता महिला स्व सहायता समूह.	खाद्यान्न, शक्कर, नमक, केरोसीन के वितरण में अनियमितताएं पाई.	दुकान निलंबित कर लेम्पस माडपाल में संलग्न किया गया है.
5.	करकापाल	संकल्प जन विकास समिति दंतेश्वरी वार्ड.	मिट्टी तेल के वितरण में अनियमितता पाये जाने के कारण.	दुकान निलंबित कर लेम्पस जगदलपुर में संलग्न किया गया है.
6.	पंडरीपानी	ग्राम पंचायत	खाद्यान्न, शक्कर, नमक, के वितरण में अनियमितताएं पाई.	दुकान निलंबित कर लेम्पस जगदलपुर में संलग्न किया गया है.
7.	नियानार	लक्ष्मी महिला स्व सहा. समूह.	ग्राम पंचायत नियानार के ग्रामीणों द्वारा राशन न मिलने की शिकायत बाबत.	प्राप्त शिकायत की जांच खाद्य निरीक्षक से कराई गई. 15 राशनकार्डधारियों के नाम राशनकार्ड सूची से स्वमेव डिलिट हो जाने के कारण खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रहा था जिसे पुनः रिस्टोर कर खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है.
8.	छोटे कवाली	महिला स्व सहा. समूह	राशन दुकान छोटे कवाली में नापतौल में गड़बड़ी किया जा रहा है. राशन दुकान संचालित करने वाले समिति को हटाने विषयक.	प्राप्त शिकायत की जांच खाद्य निरीक्षक से कराई गई. खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई.
9.	नियानार	लक्ष्मी महिला स्व सहा. समूह.	ग्राम पंचायत नियानार में संचालित उचित मूल्य दुकान के संबंध में की गई शिकायत.	प्राप्त शिकायत की जांच खाद्य निरीक्षक से कराई गई. शिकायत असत्य एवं तथ्यहीन पाया गया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	माड़पाल	लेम्पस माड़पाल	राशन दुकान माड़पाल से चावल का वितरण नहीं करने बाबत्.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है.
11.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड.	प्राथमिक युवा शि. बेरोजगार सह. समि. जगदलपुर.	उचित मूल्य दुकान श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड (मैत्री संघ गली) में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में.	खाद्य निरीक्षक जगदलपुर द्वारा जांच की कार्यवाही की जा रही है.
12.	छत्रपति शिवाजी वार्ड	माँ दन्तेश्वरी जागरण महिला स्व सहा समूह.	खाद्यान्न, शक्कर, नमक, मिट्टीतेल के वितरण में अनियमितताएं पाई.	कलेक्टर के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है.
13.	सुभाष वार्ड	प्राथमिक शि. बेरोजगार सह. समिति जगदलपुर.	वेबसाईट में शिकायत की गई है कि सोसायटी में मिट्टीतेल चावल की कालाबाजारी होती है.	शिकायत की जांच खाद्य निरीक्षक से कराई गई. शिकायत फर्जी पाया गया.
14.	अटलबिहारी वाजपेयी वार्ड.	विपणन सहकारी समिति जगदलपुर.	उचित मूल्य दुकान में हो रही अनियमितता की जांच बाबत्.	जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण दुकान निलंबित कर लेम्पस जगदलपुर में संलग्न किया गया है.
15.	मावलीपदर	मां आमटी महिला स्व सहायता समूह.	खाद्यान्न के वितरण में भारी अनियमितताएं पाई.	दुकान निरस्त कर ग्राम पंचायत मावलीपदर को दुकान आवंटित की गई है.
16.	छिन्दगुर	ग्राम पंचायत	चावल के वितरण में भारी अनियमितता पाई गई. 12 क्विं. चावल जप्त किया गया है.	प्रकरण में पुलिस थाना दरभा में एफ. आई. आर. दर्ज किया गया है. दुकान निलंबित कर लेम्पस दरभा में संलग्न किया गया है.

परिशिष्ट “सोलह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 284) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

विगत 05 वर्षों में कस्टम मिलिंग दर में वृद्धि की जानकारी

क्रमांक (1)	वित्तीय वर्ष (2)	कस्टम मिलिंग दर रु. प्रति क्विंटल		कस्टम मिलिंग दर में वृद्धि रु. प्रति क्विंटल	
		अरवा (3)	उसना (4)	अरवा (5)	उसना (6)
1.	2006-2007	35	25	0	0
2.	2007-08	35	25	0	0
3.	2008-09	45	25	10	0
4.	2009-10	40	25	(-)5	0
5.	2010-11	40	25	0	0

प्रपत्र "ब"

जिलेवार पंजीकृत राईस मिलों की जानकारी

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	पंजीकृत राईस मिलों की संख्या (3)
1.	कवर्धा	17
2.	कक्कर	14
3.	कोरबा	21
4.	कोरिया	11
5.	जशपुर	0
6.	जांजगीर-चांपा	84
7.	दन्तेवाड़ा	8
8.	दुर्ग	104
9.	धमतरी	100
10.	बस्तर	42
11.	बिलासपुर	86
12.	महासमुंद	74
13.	राजनांदगांव	56
14.	रायगढ़	85
15.	रायपुर	161
16.	सरगुजा	10
योग		873

परिशिष्ट “सत्रह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 342) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रदायित राशि की जानकारी

1 नगर पंचायत बिलाईगढ़ :-

क्र.	मद	कार्य	राशि लाख में	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अधोसंरचना मद	पार्षद निधि	7.50	01-05-10
2.	हाट बाजार समुद्धि का आधार योजना.	हाट बाजार निर्माण.	13.33	03-09-10

2 नगर पंचायत भटगांव :-

क्र.	मद	कार्य	राशि लाख में	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अधोसंरचना मद	पार्षद निधि	7.50	01-05-10

3 नगर पंचायत टुण्ड्रा :-

क्र.	मद	कार्य	राशि लाख में	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अधोसंरचना मद	पार्षद निधि	7.50	01-05-10
2.	अधोसंरचना मद	कार्यालय भवन	10.00	21-05-10
3.	अधोसंरचना मद	कार्यालय भवन की शेष राशि.	4.87	21-09-10
4.	सांस्कृतिक भवन योजना	सांस्कृतिक भवन योजना.	8.33	03-09-10
5.	हाट बाजार समुद्धि का आधार.	हाट बाजार निर्माण.	13.33	03-09-10
6.	उन्मुक्त खेल मैदान योजना	खेल मैदान निर्माण	6.91	10-11-10
7.	मुक्तिधाम योजना	मुक्तिधाम निर्माण	4.00	10-11-10

परिशिष्ट “अट्टारह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 360) की जानकारी]

क्र. (1)	विकासखण्ड / थाना का नाम (2)	प्रकरण जिसके विरुद्ध निर्मित हुआ (3)	पाई गई अनियमितता (4)	की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति (5)
1.	डोंगरगांव	श्री विकास आत्मज बुधराम	केरोसीन का अवैध भण्डारण	प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है.
2.	राजनांदगांव	श्री भरत ठक्कर जलाराम स्वीट्स, राजनांदगांव.	केरोसीन का अवैध भण्डारण	प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है.
3.	राजनांदगांव	श्री नवनाथ गुप्ता, मोती स्वीट्स, राजनांदगांव.	केरोसीन का अवैध भण्डारण	प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है.
4.	डोंगरगांव	श्री बृजराज समधिया, प्रबंधक राजनांदगांव रोड़ लाईन्स राजनांदगांव.	नीला केरोसीन से वाहन का परिचालन.	प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है.
5.	राजनांदगांव	श्रीमती शीतल कौर, रायपुर	नीला केरोसीन से वाहन का परिचालन.	न्यायालयीन आदेशानुसार जप्त सामग्री के मूल्य में से रु. 40,000/- शासन पक्ष में राजसात कर प्रकरण समाप्त किया गया.
6.	राजनांदगांव	श्री गुरमीत सिंह, टाटीबंध रायपुर (ट्रक क्र. सी. जी./04/ जे/2591).	नीला केरोसीन से वाहन का परिचालन.	न्यायालयीन आदेशानुसार जप्त सामग्री के मूल्य में से रु. 40,000/- शासन पक्ष में राजसात कर प्रकरण समाप्त किया गया.
7.	राजनांदगांव	श्री गुरमीत सिंह, टाटीबंध रायपुर (ट्रक क्र. सी. जी./04/ जी/9281).	नीला केरोसीन से वाहन का परिचालन.	न्यायालयीन आदेशानुसार जप्त सामग्री के मूल्य में से रु. 40,000/- शासन पक्ष में राजसात कर प्रकरण समाप्त किया गया.
8.	राजनांदगांव	श्री घेवर चंद जैन, सिविल लाईन, खैरागढ़.	नीला केरोसीन से वाहन का परिचालन.	न्यायालयीन आदेशानुसार जप्त सामग्री के मूल्य में से रु. 20,000/- शासन पक्ष में राजसात कर प्रकरण समाप्त किया गया.
9.	खैरागढ़	श्री आशिष मिश्रा, खैरागढ़	नीला केरोसीन से वाहन का परिचालन.	न्यायालयीन आदेशानुसार जप्त सामग्री के मूल्य में से रु. 30,000/- शासन पक्ष में राजसात कर प्रकरण समाप्त किया गया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	खैरागढ़	श्री दीपम चौरे, ग्राम-सालहेवारे	नीला केरोसीन से वाहन का परिचालन.	न्यायालयीन आदेशानुसार जप्त सामग्री के मूल्य में से रु. 10,000/- शासन पक्ष में राजसात कर प्रकरण समाप्त किया गया.
11.	डोंगरगांव	श्री सुनीला हरिभाउ, पुने (महा.)	नीला केरोसीन से वाहन का परिचालन.	न्यायालयीन आदेशानुसार जप्त सामग्री के मूल्य में से रु. 25,000/- शासन पक्ष में राजसात कर प्रकरण समाप्त किया गया.
12.	डोंगरगढ़	श्री राजेश, डोंगरगढ़	नीला केरोसीन से वाहन का परिचालन.	न्यायालयीन आदेशानुसार जप्त सामग्री के मूल्य में से रु. 20,000/- शासन पक्ष में राजसात कर प्रकरण समाप्त किया गया.
13.	डोंगरगढ़	श्री तुलसीराम, डोंगरगढ़	नीला केरोसीन से वाहन का परिचालन.	न्यायालयीन आदेशानुसार जप्त सामग्री के मूल्य में से रु. 20,000/- शासन पक्ष में राजसात कर प्रकरण समाप्त किया गया.
14.	डोंगरगढ़	श्री गोवर्धन अग्रवाल, डोंगरगढ़	नीला केरोसीन से वाहन का परिचालन.	न्यायालयीन आदेशानुसार जप्त सामग्री के मूल्य में से रु. 20,000/- शासन पक्ष में राजसात कर प्रकरण समाप्त किया गया.
15.	राजनांदगांव	श्री गुरुप्रीत सिंग, राजनांदगांव	नीला केरोसीन से वाहन का परिचालन.	न्यायालयीन आदेशानुसार जप्त सामग्री के मूल्य में से रु. 25,000/- शासन पक्ष में राजसात कर प्रकरण समाप्त किया गया.
16.	मोहला	श्री अनिस ठक्कर, बांधाबाजार	नीला केरोसीन से वाहन का परिचालन.	न्यायालयीन आदेशानुसार जप्त सामग्री के मूल्य में से रु. 20,000/- शासन पक्ष में राजसात कर प्रकरण समाप्त किया गया.
17.	डोंगरगढ़	श्री हेमंत सिंह चौहान, डोंगरगढ़	नीला केरोसीन से वाहन का परिचालन.	न्यायालयीन आदेशानुसार जप्त सामग्री के मूल्य में से रु. 30,000/- शासन पक्ष में राजसात कर प्रकरण समाप्त किया गया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	डोंगरगढ़	श्री अब्दुल अरशद, डोंगरगढ़	नीला केरोसीन से वाहन का परिचालन.	न्यायालयीन आदेशानुसार जप्त सामग्री के मूल्य में से रु. 20,000/- शासन पक्ष में राजसात कर प्रकरण समाप्त किया गया.
19.	डोंगरगढ़	श्री राजकुमार महोबिया	नीला केरोसीन से वाहन का परिचालन.	न्यायालयीन आदेशानुसार जप्त सामग्री के मूल्य में से रु. 20,000/- शासन पक्ष में राजसात कर प्रकरण समाप्त किया गया.
20.	सोमनी	श्री तजीन्द्र सिंग/सुबोध साव, प्रो. सुखचैन ढाबा, ठाकुरटोला.	केरोसीन का अवैध भण्डारण.	प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है.
21.	राजनांदगांव	श्री अमजीत सिंह गिल, बल्देव बाग राजनांदगांव.	नीला केरोसीन से वाहन का परिचालन.	न्यायालयीन आदेशानुसार जप्त सामग्री के मूल्य में से रु. 20,000/- शासन पक्ष में राजसात कर प्रकरण समाप्त किया गया.
22.	छुरिया	श्रीमती योगिता उपाध्याय/ श्री संदीप सिंह, राजनांदगांव.	केरोसीन का अवैध भण्डारण.	प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है.

परिशिष्ट “उन्नीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 367) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

शमन-शुल्क एवं अन्य मदों से बैरियर एवं वर्षवार वसूली का विवरण वर्ष, 2009-2010

क्र. (1)	परिवहन चेकपोस्ट (बैरियर) का नाम (2)	शमन-शुल्क (3)	मालयान कर/ त्रै-मासिक कर (4)	यात्री यान/ मासिक कर (5)	परमिट फीस (6)	कुल योग (7)
1.	खम्हारपाली (भगतदेवरी)	11,00,00,150.00	1,24,53,718.00	16,50,300.00	23,18,250.00	12,64,22,418.00
2.	बागबहारा	41,16,200.00	7,71,655.00	1,03,870.00	3,21,000.00	53,12,725.00
3.	केंवची	38,12,400.00	22,36,152.00	11,29,435.00	9,38,250.00	81,16,237.00
4.	वाड्डफनगर	2,60,45,150.00	36,10,543.00	10,58,465.00	14,84,250.00	3,21,98,408.00
5.	रामानुजगंज	50,68,400.00	18,02,140.00	84,085.00	5,61,750.00	75,16,375.00
6.	घुटरीटोला	11,59,500.00	8,88,965.00	27,430.00	5,58,000.00	26,33,895.00
7.	चांटी	2,72,300.00	1,40,405.00	49,452.00	72,000.00	5,34,157.00
8.	पाटेकोहरा	19,84,56,750.00	3,43,25,771.00	86,17,515.00	50,68,500.00	24,64,68,536.00
9.	छोटा मानपुर	7,82,100.00	2,12,506.00	3,94,234.00	81,000.00	14,69,840.00
10.	मानपुर	32,96,300.00	7,74,750.00	76,410.00	1,36,500.00	42,83,960.00
11.	चिल्फी	2,39,86,250.00	73,70,737.00	6,31,753.00	48,18,750.00	3,68,07,490.00
12.	रेंगारपाली	1,09,45,000.00	43,38,351.00	1,25,220.00	22,00,900.00	1,76,09,471.00
13.	कटंगपाली (उप जांच चौकी).	8,04,500.00	5,57,584.00	93,780.00	3,00,750.00	17,56,614.00
14.	शंख	2,95,48,600.00	91,01,549.00	6,71,186.00	11,35,500.00	4,04,56,835.00
15.	लवाकेरा (उप जांच चौकी).	19,64,500.00	5,28,498.00	9,060.00	3,36,750.00	28,38,808.00
16.	धनपूंजी	50,97,200.00	32,16,010.00	4,93,226.00	1,79,250.00	89,85,686.00
17.	कोटा	55,03,600.00	33,87,320.00	2,88,330.00	7,65,000.00	99,44,250.00
योग :-		43,08,58,900.00	8,57,16,654.00	1,55,03,751.00	2,12,76,400.00	55,33,55,705.00

प्रपत्र "ब"

शमन-शुल्क एवं अन्य मदों से बैरियर एवं वर्षवार वसूली का विवरण वर्ष, 2010-2011 (15 नम्बर, 2010 तक)

क्र. (1)	परिवहन चेकपोस्ट (बैरियर) का नाम (2)	शमन-शुल्क (3)	मालयान कर/ त्रै-मासिक कर (4)	यात्री यान/ मासिक कर (5)	परमिट फीस (6)	कुल योग (7)
1.	खम्हारपाली	8,02,06,250.00	80,13,874.00	7,11,628.00	19,71,750.00	9,09,03,502.00
2.	बागबहारा	27,34,700.00	6,03,500.00	1,49,525.00	3,26,250.00	38,13,975.00
3.	केंवची	22,60,891.00	11,74,247.00	7,57,383.00	5,12,185.00	47,04,706.00
4.	वाडुफनगर	1,89,63,411.00	37,13,050.00	12,12,134.00	13,92,428.00	2,52,81,023.00
5.	रामानुजगंज	50,39,668.00	12,63,369.00	68,607.00	5,59,414.00	69,31,058.00
6.	घुटरीटोला	8,22,645.00	6,89,776.00	17,577.00	4,11,214.00	19,41,212.00
7.	चांटी	2,11,062.00	1,01,145.00	32,022.00	56,185.00	4,00,414.00
8.	पाटेकोहरा	14,24,92,310.00	2,30,55,646.00	76,35,095.00	27,15,750.00	17,58,98,801.00
9.	छोटा मानपुर	6,02,900.00	1,13,040.00	46,390.00	64500.00	8,26,830.00
10.	मानपुर	53,42,200.00	5,21,610.00	44,820.00	90,000.00	59,98,630.00
11.	चिल्फी	1,86,46,600.00	37,30,286.00	3,12,403.00	24,03,771.00	2,50,93,060.00
12.	रेंगारपाली	79,42,700.00	24,47,654.00	45,550.00	13,31,750.00	1,17,67,654.00
13.	कटंगपाली (उप जांच चौकी).	7,01,200.00	2,80,270.00	7,200.00	1,70,950.00	11,59,620.00
14.	शंख	2,01,90,377.00	38,73,067.00	2,71,830.00	10,40,657.00	2,53,75,931.00
15.	लवाकेरा (उप जांच चौकी).	15,97,411.00	3,31,577.00	1,958.00	1,27,028.00	20,57,974.00
16.	धनपूंजी	42,91,285.00	13,21,162.00	2,09,640.00	1,22,957.00	59,45,044.00
17.	कोटा	30,71,300.00	12,77,250.00	1,10,230.00	3,81,000.00	48,39,780.00
योग :-		31,51,16,910.00	5,25,10,523.00	1,16,33,992.00	1,36,77,789.00	39,29,39,214.00

परिशिष्ट "बीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 375) के भाग (क) की जानकारी]

नगर पंचायतों को विभिन्न राज्य प्रवर्तित योजनांतर्गत राशि आवंटन के मापदण्ड निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	योजना का नाम (2)	मापदण्ड/पात्रता (3)
1.	सरोवर धरोहर योजना	11.90 लाख प्रति हेक्टेयर
2.	पुष्पवाटिका उद्यान योजना	16.00 लाख प्रति हेक्टेयर
3.	उन्मुक्त खेल मैदान योजना	10.25 लाख प्रति हेक्टेयर
4.	ज्ञानस्थली योजना	
	प्राथमिक शाला	5.25 लाख
	माध्यमिक शाला	7.35 लाख
	हाई स्कूल	8.65 लाख
	महाविद्यालय	9.70 लाख
5.	मुख्यमंत्री स्वा. योजना	
	दुकान 3.50 मी. x 3.00 मी.	0.57 लाख प्रति दुकान
	दुकान 2.50 मी. x 3.00 मी.	0.46 लाख प्रति दुकान
6.	सार्वजनिक प्रसाधन	
	12 सीटर	8.00 लाख
7.	प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना	17.00 लाख
8.	मुक्तिधाम	8.00 लाख
9.	सांस्कृतिक भवन योजना	
	जिला मु. के नगर पंचायत	35.00 लाख
	अन्य नगर पंचायत	25.00 लाख
10.	हाट बाजार योजना	40.00 लाख
11.	अन्नपूर्णा सामु. सेवा केन्द्र	15.00 लाख प्रति केन्द्र
12.	भागीरथी नल जल योजना	अधिकतम रु. 3000/- प्रति नल संयोजन
13.	अटल आवास योजना	0.60 लाख प्रति आवास (लक्ष्य स्वीकृत होने पर)
14.	दीनदयाल उपा. स्वावलंबन योजना	1.60 लाख (10 गुमटी हेतु)

परिशिष्ट “इक्कीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 380) के भाग (ख) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा 2006-07 से 2010-11 तक निम्नानुसार राशि आयकर के रूप में जमा की गई है :-

क्र. (1)	वित्तीय वर्ष (2)	आयकर जमा राशि (रुपयों में) (3)
1.	2006-07	1,82,36,115
2.	2007-08	1,40,57,378
3.	2008-09	1,24,25,507
4.	2009-10	निरंक
5.	2010-11	निरंक
योग		4,47,19,000

आयकर जमा करने के विरुद्ध आयकर विभाग में छूट का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु आयकर विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर Cottage Industries के अंतर्गत आयकर की धारा 80 P (2) (a) (ii), 80 P (2) (C), 80 P (2) (D) के तहत आयकर निम्नानुसार वापस प्राप्त किया गया :-

क्र. (1)	वित्तीय वर्ष (2)	मूल आय कर राशि (3)	ब्याज (4)	योग (5)
1.	2006-07	निरंक	निरंक	निरंक
2.	2007-08	निरंक	निरंक	निरंक
3.	2008-09	निरंक	निरंक	निरंक
4.	2009-10	3,08,76,690	6,50,130	3,15,26,820
5.	2010-11	-	7,88,690	7,88,690
योग		3,08,76,690	14,38,820	3,23,15,510

परिशिष्ट “बाईस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 383) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2009-2010 एवं 2010-11 में खाद्यान्न उठाव की जिलेवार जानकारी

(मात्रा मेट्रिक टन में)

क्र. (1)	जिला (2)	वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11	
		गेहूं (3)	चावल (4)	गेहूं (5)	चावल (6)
1.	बीजापुर	36.00	240.00	43.80	94.00
2.	दुर्ग	1684.81	0.00	1208.12	2154.08
3.	नारायणपुर	0.00	0.00	3.87	59.89
4.	रायगढ़	241.99	1.00	485.49	1002.21
5.	कांकेर	334.80	201.07	129.92	1081.68
6.	राजनांदगांव	0.00	0.00	618.42	1362.49
7.	दंतेवाड़ा	258.10	127.30	14.20	186.50
8.	जगदलपुर	1835.08	198.00	183.10	513.00
9.	बिलासपुर	0.00	0.00	603.13	1126.88
10.	कोरिया	757.50	155.50	632.74	700.43
11.	जशपुर	304.10	19.40	93.29	198.00
12.	धमतरी	127.34	0.00	452.41	841.03
13.	महासमुंद	0.00	0.00	330.42	1296.41
14.	कबीरधाम	38.35	0.00	27.65	63.50
15.	जांजगीर-चांपा	0.00	0.00	525.98	1857.77
16.	रायपुर	5026.43	0.00	5209.37	7827.38
17.	सरगुजा	1036.40	65.27	502.60	142.63
18.	कोरबा	153.30	368.40	517.40	1280.30
योग		11834.20	1375.94	11581.91	21788.18

परिशिष्ट "तेईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 391) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

ग्राम बिरकोनी, जिला महासमुन्द में स्थापित सम्मति प्राप्त उद्योगों की जानकारी

क्रमांक (1)	उद्योग का नाम (2)	प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था (3)
1.	मे. मनन स्टोन्स	सेटलिंग टैंक
2.	मे. ईडन इन्फ्रॉस्ट्रक्चर्स प्रा. लिमिटेड	न्यूट्रलाईजेशन टैंक, सेटलिंग टैंक
3.	मे. परफेक्ट हर्बल एण्ड आईल	न्यूट्रलाईजेशन टैंक, सेटलिंग टैंक एवं सॉयक्लोन
4.	मे. एलिस्टो पाईप इण्डस्ट्रीज	एक्झास्ट सिस्टम
5.	मे. किसान मोल्लिंग लिमिटेड	एक्झास्ट सिस्टम
6.	मे. जिंदल फलाई ऐश ब्रिक्स एण्ड पेविंग टाइल्स	जल छिड़काव
7.	मे. लव स्टोन इण्डस्ट्रीज	सेटलिंग टैंक
8.	मे. निर्मला इण्डस्ट्रीज ब्लेक स्टोन पॉलिशिंग	सेटलिंग टैंक
9.	मे. श्री अन्नपूर्णा इण्डस्ट्रीज फलाई ऐश ब्रिक्स	जल छिड़काव
10.	मे. विश्वनाथ एग्रो इण्डस्ट्रीज	एक्झास्ट सिस्टम
11.	मे. वीर इण्डस्ट्रीज	एक्झास्ट सिस्टम

परिशिष्ट “चौबीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 392) के भाग (क) की जानकारी]

मात्रा टन में

क्र.	जिला	खरीफ वर्ष 2008-09 में उपार्जित धान की मात्रा	खरीफ वर्ष 2009-10 में उपार्जित धान की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	788618	1056321
2.	महासमुंद	318053	507891
3.	धमतरी	281845	335674
4.	दुर्ग	575722	640818
5.	राजनांदगांव	173284	182419
6.	कवर्धा	80680	57195
7.	बिलासपुर	330694	318875
8.	कोरबा	43315	47027
9.	जांजगीर	469686	539543
10.	रायगढ़	330676	364714
11.	जशपुर	22690	22777
12.	अंबिकापुर	162716	124403
13.	कोरिया	24639	19607
14.	कांकेर	74571	78175
15.	जगदलपुर	64547	96541
16.	दंतेवाड़ा	17702	15881